

RNI No.-13466/1963
Postal Regd. No. GPOLW-NP/181/2024-26
Total No. of Page - 44
Postal Date : 18 & 19 Every Month

अप्रैल, 2024

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

मूल्य : 15.00

सहकारिता

हिन्दी मासिक पत्रिका

कृषि क्षेत्र में
ड्रोन के बढ़ते कदम



‘सहकारिता’

पत्रिका के नियम

1. सहकारिता मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन हर महीने के तीसरे सप्ताह में होता है।
2. सहकारिता का उद्देश्य सहकारिता तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं और समाचारों का प्रचार करना, सहकारिता के उद्देश्य और उपयोग से जनता को परिचित कराना तथा देश की आर्थिक समृद्धि के लिये प्रेरित करना है।
3. इसका वार्षिक मूल्य ₹0 150.00 तथा आजीवन सदस्यता के लिए ₹0 1500.00 मात्र है।
4. प्रकाशन, विज्ञापन, ग्राहक और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक सहकारिता पो.बा. नं. 136 लखनऊ से करना चाहिए।
5. सहकारिता में प्रकाशित रचनाओं में प्रकट किये गये विचारों से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
6. सहकारिता पत्रिका के न मिलने की सूचना सम्पादक को मास के भीतर मिलनी चाहिए अन्यथा दूसरी प्रति भेजना सम्भव न होगा।
7. सहकारिता में प्रकाशनार्थ सामग्री-लेख समाचार आदि कागज में एक ही ओर लिखकर निम्न पते पर भेजना चाहिए।

सम्पादक

सहकारिता

पोस्ट बाक्स नं0 136

लखनऊ-226001

‘सहकारिता’ पत्रिका हेतु विज्ञापन की दरें

1-doj i jk IK'B	: 0 15]00000
2-fof K'V foKki u	: 0 10]00000
¼K/Zi sj ij ½	
3I kKj. k i jk IK'B	: 0 5]00000
4-v kK IK'B	: 0 3]00000
5pKkZIK'B	: 0 150000

‘सहकारिता’ साप्ताहिक एवं मासिक का शुल्क

<input type="checkbox"/> एक प्रति-सहकारिता साप्ताहिक	₹0	3.00
<input type="checkbox"/> एक प्रति-सहकारिता मासिक	₹0	15.00
<input type="checkbox"/> वार्षिक-सहकारिता साप्ताहिक	₹0	150.00
<input type="checkbox"/> वार्षिक-सहकारिता मासिक	₹0	150.00
<input type="checkbox"/> सहकारिता साप्ताहिक (आजीवन)	₹0	1500.00
<input type="checkbox"/> सहकारिता मासिक (आजीवन)	₹0	1500.00
<input type="checkbox"/> साप्ताहिक एवं मासिक संयुक्त (आजीवन)	₹0	3000.00

प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. को आपरेटिव यूनियन लि0
14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ के
पते पर शीघ्र मनीआर्डर भेजकर ग्राहक बनें।

वी0पी भेजने का नियम नहीं है।

कृपया पत्र- व्यवहार निम्न पते पर करें:-

सम्पादक

सहकारिता

यू.पी. कोआपरेटिव यूनियन लि0

14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग,

लखनऊ-226 001.

सहकारिता



वर्ष-61 अंक-10 अप्रैल, 2024

संरक्षक

अनिल कुमार (आई.ए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०

श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक (प्रशा०, शिक्षा)

सुनील कुमार दिवाकर
प्रभारी सम्पादक

पवन कुमार वर्मा
आवरण एवं लेजर टाइप/प्रूफ रीडर

सदस्यता शुल्क :

एक प्रति : 15.00 रुपये
वार्षिक (बारह अंक) : 150.00 रुपये (डाक से)
आजीवन : 1500.00 रुपये
सदस्यता शुल्क व्यक्तिगत या बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा सम्पादक "सहकारिता" यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) के पते पर भेजें।

सम्पादकीय कार्यालय :

यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि० 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) 226 001.
फोन नं०: 0522-4004577 मो० नं० : 9415094114
ई-मेल : sahkarita@gmail.com,

स्वत्वाधिकारी यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, प्रकाशक, मुद्रक, सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रभारी सम्पादक - सुनील कुमार दिवाकर।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं। इसमें सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा

अनुक्रमणिका

क्र.सं. विषय	पृ०सं०
1. सम्पादकीय	4
2. 'कृषि क्षेत्र में ब्लेन के बढ़ते कदम'	5
- डा० दीपक कोहली	
3. सहकार भाव	9
- प्रेम चन्द्र सैनी	
4. गरीबी : समस्त समस्याओं का मूल	10
- डॉ० ओ.पी. मिश्र	
5. सहकारिता की भावना अत्यावश्यक	12
- दयानन्द जड़िया "अबोध"	
6. वर्तमान समय में संत कबीर की प्रासंगिकता	13
- गौरी शंकर वैश्य "विनम्र"	
7. सपनों के बीज	18
- अयोध्या प्रसाद	
8. विभिन्न रोगों की एक दवा 'पानी'	19
- श्रीमती दीप माला सिंह	
9. 'सोच समझकर वोट भरइया'	21
- हरी राम यादव फैजाबादी	
10. आओ जानें लहसुन को	22
- रामफेर	
11. हाथ लगाना रे	27
- डा. राजेश गोयल	
12. पत्रकारिता के प्रकाश स्तम्भ शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी	28
- श्रीमती कुसुम सिंह	
13. कृषकों में उपभोक्ता जागरूकता : एक आवश्यकता	31
- डा० जयन्त सिंह	
14. वो भोर नहीं आई	33
- राजेन्द्र तिवारी	
15. प्रकृति, भारतीयता एवं वैज्ञानिकता से जुड़ा है नवसंवत्सर	34
- नमिता वैश्य	
16. सशक्त नारी वंदना शर्मा	37
- डा० उषा अरोड़ा	
16. परीक्षाफल	39
- डा. भागचंद्र जैन	
17. 'सहकारिता सर्वोदय'	40
- सीएमए गोविन्द शुक्ल	

□□□

सहकारी बन्धुओं व पाठकों से अपील

समस्त पाठकों, सहकारी जगत से जुड़े सरकारी व संस्थागत अधिकारी, कर्मचारी तथा सहकारी बन्धुओं से अनुरोध है कि आप अपने जीवन से जुड़ी कोई विशेष उपलब्धि/उत्कृष्ट कार्य हेतु संतुलित व्याख्या, सुझाव व विचार "सहकारिता" मासिक पत्रिका, यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, 14, डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) पर भेज सकते हैं, या फिर ई-मेल sahkarita@gmail.com पर कर सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।

- प्रभारी सम्पादक



सुनील कुमार दिवाकर



सम्पादक की कलम से

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि जलवायु (मौसम) पर आधारित है। आज भी 75-80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। किसानों की एक नहीं नाना प्रकार की समस्याएँ हैं जिनको हल करने हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारें विभिन्न प्रकार की किसानोंपयोगी योजनाओं का जमीनी स्तर पर सफलता पूर्वक संचालन हो रहा है। विभिन्न विषयों जिनका सीधा सम्बन्ध किसानों से है समय के अनुसार देखा जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसान हित ही सर्वोपरि है। हमारे किसानों को साधन, सुविधा तकनीकी, सम्पन्न बनाए जाने हेतु यथा संभव प्रयास वास्तविक रूप से हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था की नाना समस्याओं में से उन समस्याओं पर किसानों के हितों में व्यापक दृष्टि कोण अपनाया गया है जिनका सीधा सम्बन्ध किसानों के जीवन-यापन, रहन-सहन, खेती-किसानी, आदि से है। यदि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार तो हो रहा है। खेती-किसानी का तरीका तो बदल रहा है किन्तु खेती-किसानी, के किसान, गरीब, खेतिहर, श्रमिक, मजदूर आज भी उसी स्थिति में नजर आ रहा है। या यूँ कहें गरीब किसान की स्थिति और भी खराब हो गयी है। कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। पेड़, पौधों की कटान दिन प्रतिदिन बढ़ गयी है जिससे मानव जीवन और पृथ्वी का पर्यावरण खतरों में पड़ गया है। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। जीव-जन्तु कम हो रहे हैं। पशुओं का पालन पोषण कम, कटान अधिक हो रहा है इसका बुरा असर मानव जीवन और खेती-बाड़ी पर पड़ रहा है। बैल गोई, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, आदि महत्वपूर्ण पशुओं की जनसंख्या में कमी नजर आ रही है। कुओं, तालाब, पोखर, झील, नाला, नाली, नदी, आदि खत्म हो रहे हैं। हर तरफ शहरीकरण हो रहा है। खेती-बाड़ी भी आधुनिक रूप ले रही है। कृषि यन्त्रीकरण और खेती में रासायनिक दवाओं का प्रयोग बढ़ गया है। इससे मानव के सुखमय जीवन और पर्यावरण पर संकट के बादल मडराने लगे हैं। अगर किसान अपने मूल अधिकारों को नहीं समझा इन पर चिन्तन-मनन अध्ययन नहीं किया तो आने वाला समय अत्यन्त ही कष्टकारी हो सकता है।

इसी क्रम में हमारे किसान भाई भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें जैसे कृषि करना खेती-किसानी से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी योजनाएं आदि की जानकारी रखें। अधिकाधिक पशु पालन करें, मुर्गी पालन करें, बतख पालन करें, मछली पालन करें, गाय, भैंस, बकरी पालन की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। खेतों-खलिहानों में पेड़-पौधे अधिक लगाएं। बच्चे उतने ही रखें जिनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आसानी से कर सकें यानी परिवार नियोजन बहुत ही आवश्यक है। खेत-खलिहान, कुओं, तालाब, पोखर, नदी, नाला झील की रक्षा एवं सुरक्षा करें अधिक से अधिक बरसात के पानी का संरक्षण करें जंगलो को उजाड़े नहीं बल्कि पेड़-पौधों की रोपाई करें। फसलों को वैज्ञानिक ढंग से करें किन्तु कीट नाशक दवाओं का प्रयोग कम करें इससे जीव-जन्तुओं का विनाश तो होता ही है इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। पर्यावरण भी बिगड़ता है। त्वरित फायदे के लिए आक्सीटोन इन्जेक्शन जैसे अनेकों रासायनिक दवाओं से बचें जो आज कल फल-सब्जी एवं गाय-भैंस को लगाकर उनका शोषण किया जाता है। इसका सीधा असर मानव (बाल-बच्चों) जीवन पर पड़ता है। □



‘कृषि क्षेत्र में ड्रोन के बढ़ते कदम’

प्रस्तावना :

भारत कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी पहल ड्रोन उद्योग का समर्थन करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी क्षमता को देखते हुए। कभी भविष्यवादी माने जाने वाले ड्रोन अब युवाओं और महिलाओं के लिए लागत-प्रभावी समाधान और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। विश्व स्तर पर, अफ्रीका, जापान और स्पेन जैसे देश कृषि को बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। भारत को ड्रोन प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता है, वह विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का लाभ उठाने के लिए तैयार है। बढ़ती रुचि और सरकारी समर्थन के साथ, भारत एक परिवर्तनकारी ड्रोन क्रांति के कगार पर है।

ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता :

कृषि में ड्रोन के वैश्विक आर्थिक प्रभाव :

ड्रोन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान देने का अनुमान है। यह आशावादी पूर्वानुमान दुनिया भर के कृषि उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संभावना व्यक्त करता है।



डा० दीपक कोहली,

विशेष सचिव, सहकारिता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

मो० : 945410037

विभिन्न देशों में अपनाने की दरों में भिन्नता :

संयुक्त राज्य अमेरिका में, 84 प्रतिशत किसान प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर ड्रोन का उपयोग करते हैं। उपयोग में फसल निगरानी (73 प्रतिशत) और मृदा और क्षेत्र विश्लेषण (43 प्रतिशत) शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में अपनाने की दर उल्लेखनीय रूप से कम है।

भारत में तेजी से वृद्धि :

भारत सक्रिय रूप से कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी का पता लगा रहा है और उसे बढ़ावा दे रहा है। शुरुआती दौर में होने के बावजूद कई कंपनियां भारतीय किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को सुलभ बनाने के लिए काम कर रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय महत्वपूर्ण वृद्धि की परियोजना करता है, ड्रोन उद्योग के 2026 तक 12,000-15,000 करोड़ रुपये के कारोबार तक पहुंचने की उम्मीद है।

ड्रोन स्टार्टअप्स में वृद्धि :

जून 2023 तक भारत में 333 ड्रोन स्टार्टअप स्थापित हो चुके थे जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है।

अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच भारत में ड्रोन या यूएवी स्टार्टअप की संख्या में 34.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि भारत में बढ़ते ड्रोन उद्योग को दर्शाती है, जिसमें स्टार्टअप- कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में विविध अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं।

भारतीय कृषि में एग्री-ड्रोन के लाभ और सीमाएँ :

भारतीय कृषि क्षेत्र तेजी से ड्रोन अपनाने का अनुभव कर रहा है, जिससे स्टार्टअप कृषि, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में इसके विविध अनुप्रयोगों का अन्वेषण कर रहे हैं। हालांकि, यह उभरती हुई तकनीक अपने साथ लाभ और सीमाएँ दोनों लाती है।

लाभ :

उन्नत सुरक्षा : प्रशिक्षित पायलट ड्रोन का संचालन करते हैं, जिससे दुरुपयोग का जोखिम कम होता है और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।

अधिक दक्षता : कृषि-ड्रोन मानव श्रम की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करते हैं, समय पर और प्रभावी कृषि कार्यों को बढ़ावा देते हैं।

लागत-प्रभावशीलता : परंपरागत तरीकों की तुलना में अल्ट्रा-लो वाल्यूम (यूएलवी) छिड़काव तकनीक का उपयोग पानी की बचत को बढ़ावा देता



है, जिससे लागत कम होती है।

पहुँच में सुधार : कृषि-ड्रोन कम लागत, आसान रखरखाव, मजबूत डिजाइन, वियोज्य कंटेनर और सटीक कीटनाशक छिड़काव क्षमताओं की विशेषता रखते हैं, जो उन्हें भारतीय किसानों के लिए व्यावहारिक बनाते हैं।

सीमाएँ :

कनेक्टिविटी के मुद्दे : ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित आनलाइन कवरेज के कारण कनेक्टिविटी समस्याएँ एक चुनौती बनकर उभरती हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आवर्ती व्यय का बोझ पड़ सकता है।

मौसम पर निर्भरता : ड्रोन अनुकूल मौसम की स्थिति पर निर्भर होते हैं, और प्रतिकूल मौसम में उन्हें उड़ाने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

ज्ञान और कौशल आवश्यकताएँ : किसानों को दैनिक आधार पर ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे इस उभरती हुई तकनीक में प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। सरकारी पहलें ड्रोन उद्योग को उड़ान दे रही हैं। भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी तेजी से विकास कर रही है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनेक अनुप्रयोग सामने आ रहे हैं। कृषि, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक्स, सभी ड्रोन की क्षमताओं से लाभ उठा रहे हैं। इस विकास को और तेज करने के लिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और



पहले शुरू की हैं :

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना : यह योजना घरेलू ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके और अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर, यह योजना अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजन का लक्ष्य रखती है। वित्त वर्ष 2023-24 तक वार्षिक बिक्री कारोबार में 900 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना : यह पहल कृषि में लगे महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। 2024-25 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपये आवंटित करके, यह योजना इन समूहों को फसल निगरानी और उपज अनुमान के लिए ड्रोन प्रदान करेगी।

स्टार्टअप के लिए ड्रोन शक्ति योजना : नवाचार को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ड्रोन शक्ति योजना स्टार्टअप्स को अनुसंधान, विकास और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना ड्रोन उद्योग में भारतीय नवाचार को मजबूत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

ड्रोन नियम, 2021 : भारत में ड्रोन संचालन को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक

विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म जैसे आनलाइन उपकरण ड्रोन पंजीकरण और संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे उद्योग के लिए अनुपालन आसान हो जाता है।

कृषि अनुसंधान में ड्रोन : अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कृषि अनुसंधान में ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए तरीके विकसित होंगे, बल्कि ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन : किसानों को ड्रोन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए SMAM के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को अपने खेतों में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन करने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिसमें महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

इन पहलों के सम्मिलित प्रयास से भारत में ड्रोन उद्योग के तीव्र विस्तार की संभावना है। आने वाले वर्षों में, ड्रोन प्रौद्योगिकी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।

किसान ड्रोन का भारतीय कृषि पर प्रभाव : भारतीय कृषि क्षेत्र परंपरागत रूप से श्रम-साध्य और कम दक्षता वाला रहा है। हालाँकि, किसान ड्रोन के आगमन से खेती के तौर-तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की उम्मीद है। ये तकनीकी रूप से उन्नत हवाई वाहन कृषि की मूलभूत प्रक्रियाओं को





अधिक कुशल, सटीक और लाभदायक बना सकते हैं।

पारंपरिक विधियों से बेहतर :

सुरक्षा : हवा से कीटनाशक छिड़काव से जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क से होने वाले जोखिम कम हो जाते हैं।

दक्षता : ड्रोन कम समय में बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, पारंपरिक तरीकों की तुलना में श्रम और लागत को कम कर सकते हैं।

सटीकता : जीपीएस-निर्देशित तकनीक सुनिश्चित करती है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक का केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही छिड़काव होता है, जिससे संसाधनों का कम उपयोग होता है।

लाभदायक खेती को बढ़ावा देना :

फसल स्वास्थ्य की निगरानी : ड्रोन उच्च-रिजोल्यूशन वाली छवियां कैप्चर कर सकते हैं, जिससे किसानों को फसल के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की कमी और बीमारियों का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है।

उपज अनुमान : उन्नत सेंसर से प्राप्त डेटा

का उपयोग फसल उपज का सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को बाजार की तैयारी करने और लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

भूमि प्रबंधन : ड्रोन का उपयोग क्षेत्रफल मापने, मिट्टी का विश्लेषण करने और सिंचाई प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

उपसंहार :

आधुनिक कृषि में, ड्रोन एक अभिन्न तत्व बनकर उभरे हैं, जो विविध कार्यों में सटीकता और दक्षता को बढ़ा रहे हैं। वे मृदा विश्लेषण के माध्यम से फसल चयन और रोपण पैटर्न में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। बड़े क्षेत्रों में

सटीक बुवाई करके, ड्रोन रोपण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिससे लागत और शारीरिक श्रम में कमी आ रही है। वे कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट के लक्षित अनुप्रयोग को सक्षम बनाते हैं, फसल निगरानी को अनुकूलित करते हैं और कुशल सिंचाई प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रोन फसल स्वास्थ्य के मुद्दों का शीघ्र पता लगाते हैं, जिससे सक्रिय हस्तक्षेप और उपज अनुकूलन की अनुमति मिलती है। कुछ सीमाओं के बावजूद, मजबूत सरकारी समर्थन, विनियामक अनुमोदन, आकर्षक प्रोत्साहन और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ, ड्रोन भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में, ड्रोन आधुनिक कृषि के परिदृश्य को बदल रहे हैं और भारत के कृषि क्षेत्र को एक नए युग में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। □□

पता : 5/104, विपुल खंड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
उत्तर प्रदेश
मोबाइल - 9454410037

सहकार भाव

सहकार भाव है यौवन में,
रंग उड़ रहा धरा गगन में।

अमवा डारी बौर भरी है,
कोयल बैठी कूक रही है।
खेत-खेत सरसों फूली है,
अरमों ने अंगड़ाई ली है।

सहकार भाव है यौवन में,
रंग उड़ रहा धरा गगन में।

फागुन पूनम खिलती जाती,
देख उसे राधा हर्षाती।
मन में उर के भाव दबाती,
पनघट जाने में सकृचाती।

साँसों सुरभित मधुर पवन में,
रंग उड़ रहा धरा गगन में।

डरी-डरी आ रही इधर है,
तन दीवारों के अन्दर है।
मादकता भीतर बाहर है,
तट रखती रीती गागर है।

प्राण नाचते हैं पुलकन में,
रंग उड़ रहा धरा गगन में।

भृकुटि बंक करके यों बोली,
हटो चलो मत करो ठिठोली।
मैं एकाकी उनकी टोली,
डर था जिसका वह सब होली।

डगमग कम्पन भरा चरण में,
रंग उड़ रहा धरा गगन में।



प्रेम चन्द्र सैनी



570 / 1176, बसंत नीड़, गोपालपुरी,
आलमबाग, लखनऊ
मो0 : 9935872181

गरीबी : समस्त समस्याओं का मूल

भारत की आर्थिक समस्याओं में गरीबी सबसे प्रमुख है। आर्थिक नियोजन (1951) से लेकर आज तक जितने भी प्रयास किए गए हैं उनसे गरीबी कुछ घटी है। फिर भी वह जितनी है वह हमारे समाज, राजनीति, संस्कृति आदि के लिए अवरोधक है।

गरीबी नापने के लिए जो भी फार्मूले, ग्राफ और आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वे सब सही तस्वीर प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। यह सर्वविदित है कि आँकड़े कुछ भी बता सकते हैं। उदाहरण के लिए उ.प्र. को अमीर प्रदेश सिद्ध करना है तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंद शहर आदि की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराना काफी होगा। यदि पूर्वी उ.प्र. के जिलों-देवरिया, गोंडा, बलिया, गोरखपुर, प्रतापगढ़ आदि का सर्वेक्षण कराया जाए तो उ.प्र. गरीब प्रदेश सिद्ध होगा। सारांश यह कि आँकड़े झूठ की सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। किसी शायर ने लिखा है-
मुल्क के मेयार को मत आँकड़ों से मापिए।

असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।।

ठिठुरते जाड़ों में शहरों के फुटपाथ पर सोते हुए परिवारों, कार पोछते हुए बच्चों, ढाबों पर काम करते किशोरों से क्या सिद्ध होता है? हम अपनी गरीबी छिपाने में माहिर हैं। विदेशी मेहमानों, टूरिस्टों आदि के आने पर हम वह दिखाते हैं जहाँ अट्टालिकाएँ हैं, चिकनी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छे बगीचे हैं, महँगी कारों पर चलते परिवार हैं और सभी जगहें साफ सुथरी हैं। क्या यह विदेशियों से हकीकत को छिपाना नहीं है?

गरीबी का हमने कभी महिमा मंडन नहीं किया। पुरुषार्थों में अर्थ की भी गणना की गई है। बाइबिल में तो लिखा है-

“गरीब भाग्यशाली हैं क्योंकि वे ईसा की



डॉ० ओ.पी. मिश्र,
डी.लिट (अर्थशास्त्र)

अखिल भारतीय साहित्य परिषद प्रान्त सम्मान-2023
अवन्तीबाई साहित्य सम्मान-2021
विद्या भूषण सम्मान-2014

राजधानी में प्रवेश के हकदार हैं।” बाइबिल में अमीरों को भाग्यहीन बताया गया है। लिखा है-

“ऊँट भले ही सुई की आँख से निकल जाए किन्तु अमीर ईश्वर (ईसा) की राजधानी (हेवेन) में प्रवेश नहीं कर सकता।”

समय प्रवाह ने बाइबिल के उपर्युक्त बचनों को असत्य सिद्ध कर दिया। इंग्लैण्ड अमीरी के लिए प्रयत्नशील रहा। उसने गरीबी को अभिशाप समझा। भर्तृहरि ने नीति शतक में गरीबी को अभिशाप माना है। लिखा है- “बन्धु बाधवों, के बीच धनहीन होकर जीने से अच्छा है हिंसक पशुओं, सूखे जलाशयों से युक्त वन में, घासफूस पर सोना, वत्कल धारण करना आदि। यह इसलिए कि अमीर और उनके बन्धु-बांधव गरीब को हिकारत की नजर से देखते हैं, उसका उपहास करते हैं। वन में गरीब इस उपेक्षा उपहास आदि बचे रहते हैं। संस्कृत की ‘पुतलिका सिंहासन’ पुस्तक में एक गरीब व्यक्ति कब्र में पड़े व्यक्ति से कहता है “भाई तुम बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी जगह कब्र में लेट जाऊँगा। कब्र में पड़ा व्यक्ति कहता है “मैं यहीं ठीक हूँ। गरीब

होकर जीना तो मौत से भी अधिक पीड़ादायक है .
..।”

गरीबी समाज में दुर्भावना को जन्म देती है। जो निरन्त्र हैं, निर्वसन है, निरीह और निराश्रित हैं उन्हें धनी घृणा की दृष्टि से और निर्धन धनी व्यक्तियों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। घृणा और ईर्ष्या का समाज शनैः शनैः टूट जाता है, बिखर जाता है।

गरीबी से उत्पन्न भूख भी पूजा-पाठ में बाधा डालती है। भूखे के लिए राम से अधिक रोटी प्रिय होती है। कहा गया है-

“भूखे भजन न होहिं गोपाला।”

नंगे, भूखे और निराश्रित साहित्य से कोई लगाव नहीं रखते। साहित्य/काव्य का प्रिय विषय चंद्रमा उन्हें रोटी प्रतीत होता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है-

“जब जेब में पैसे होते हैं,

पेट में रोटी होती है।

तभी यह जर्जर हीरा है,

तभी यह शबनम मोती है।।

गरीबी से राजनीति भी कुप्रभावित होती है। गरीब रूपया, कम्बल, साड़ी, शराब पाकर अपना वोट कुपात्र को दे देते हैं। धीरे-धीरे राजनीति अपना धर्म खो देती है और यह किसी भी स्वतंत्र देश के लिए धातक होता है। इतिहास बताता है कि जहाँ भूखों और नंगों द्वारा रोटी माँगने पर उन्हें तत्कालीन राजा या रानी ने “रोटी नहीं तो डबल रोटी खाओ” की सीख दी वे साम्राज्य ढह गए।

प्रश्न है कि गरीबी कैसे कम ही की जा सकती है, खत्म नहीं। उत्तर है-जनसंख्या वृद्धि पर रोक, आर्थिक विकास की गति में वृद्धि, कुटीर उद्योगों की स्थापना, अंधविश्वास पर प्रहार आदि। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। प्रत्येक दशक

में इसमें काफी वृद्धि हो जाती है। गर्भ निरोधक उपायों पर बल दिया जाना चाहिए। मुसलमानों को इसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। पिछले वर्षों में उनकी जनसंख्या में चिंतनीय वृद्धि हुई है। भारत में आर्थिक विकास की दर आशा से कम है। इस दर में वृद्धि लाना आवश्यक है। विकास के फल गरीबों तक पहुँचने चाहिए। कभी अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि विकास की गंगा झुग्गी-झोपड़ी तक जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के चलते विकास की गंगा अट्टालिकाओं में अटक जाती है। इसी लिए देश में आर्थिक विषमता है।

गांधी जी बड़े उद्योगों के विरोधी तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के पक्षधर थे। ऐसे धंधों से रोजगार बढ़ता है। मालिक और मजदूरों की आय बढ़ती है। दुःख का विषय है कि आजादी के बाद हमारे देश में उपर्युक्त धंधों की स्थापना और विकास पर यथोचित बल नहीं दिया गया।

हिन्दुओं में धारणा है कि जब तक पुत्र पिंडदान नहीं करता तब तक मृत पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अतः पुत्र पाने की लालसा में कई पुत्रियाँ जन्म ले लेती हैं। इस भ्रम को दूर किया जाना आवश्यक है। मृत की आत्मा को शांति सत्कर्मों से मिलती है, शांति न गऊ दान से और न पिंडदान से। प्रायः गरीब भाग्यवादी और परलोकवादी होते हैं। वे गरीबी और बच्चों को भगवान की देन समझते हैं। उन्हें समझना होगा कि गरीबी आलस्य का हल है और बच्चे स्त्री-पुरुष के सहवास के परिणाम हैं। जिस दिन गरीब भाग्य के स्थान पर परिश्रम अपना लेंगे और एक या दो बच्चों तक ही अपना परिवार सीमित रखेंगे उसी दिन से गरीबी भागनी शुरू हो जाएगी। □

पता : 610/368 जी, केशवनगर,
सीतापुर रोड, लखनऊ-226020
मो0 : 9559419018

सहकारिता की भावना अत्यावश्यक

भारत कृषि प्रधान और गाँवों का देश है, इसी बात को ध्यान में रख कर महात्मा गाँधी ने कहा था - भारत सात लाख गाँवों में निवास करता है।

यदि हमको अपने देश का समुचित विकास करना है तो सर्वप्रथम हमें ग्रामों की ओर और ग्रामवासी कृषकों की दशा सुधारने का प्रयास करना होगा, तभी संत विनोबाभावे ने ग्रामोदय का जो नारा दिया था वह सत्य हो सकेगा।

हमारे देश में अलगाव, फूट, वैमनस्य और स्वार्थपरता ने अपने पैर पसार रखे हैं। लोगों ने संस्कृत वाक्य- “संघे शक्ति कलयुगे” जो कालान्तर में “संघे शक्ति सर्वदा” हो गया है को बिल्कुल ही भुला दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है दीर्घकाल तक चली आ हमारी वैदिशिक दासता, क्योंकि तात्कालिक शासन खासकर अंग्रेजों की नीति रही है कि फूट डालो और राज्य करो, और इसका परिणाम यह रहा कि हमारे संयुक्त परिवारों का अस्तित्व लुप्तप्राय हो गया तथा ग्रामों एवं कृषकों की दशा इतनी बिगड़ी कि दयनीय हो गयी। किसानों की दशा इतनी दयनीय हो गयी कि कहा जाने लगा कि कृषक ऋण (कर्ज) में ही जन्म लेता है और ऋण छोड़कर ही मरता है। इसी का लाभ उठाया सेठ साहूकारों ने व महाजनों ने जिन्होंने कृषकों का शोषण शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप गाँवों से नवयुवक प्रतिभाओं का पलायन आरम्भ हो गया और कहावत बन गई-

“शहर बसन्ता देवा नाम,
गाँव बसन्ता भूता नाम।”

अब से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व कुछ विचारवान लोगों का ध्यान कृषि और ग्रामों की ओर गया, जिसके परिणाम स्वरूप सहकारिता आन्दोलन **co-operative Movement** का जन्म हुआ।

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ और सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया और सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा मिला। गाँवों में सहकारी बैंकों की शाखाएँ खुलीं। साधन सहकारी समितियों का गठन हुआ। उनके प्रकार के कार्यों का संचालन सहकारिता के आधार पर होने लगा

- दयानन्द जड़िया “अबोध”

जैसे कार्यालयों, सहकारी जलपान गृह संचालित हुए, आज तो अनेक विभागों में कोआपरेटिव बैंक खुले हुए हैं जैसे पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक और रेलवे कोआपरेटिव बैंक के अतिरिक्त अन्यान्य विभागों के कार्यालयों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार, इतना ही नहीं, कई मुहल्लों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार खुल गये हैं।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 75 वर्ष उपरान्त मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का ध्यान इस लाभकारी व महत्वपूर्ण योजना जिसके द्वारा समाज और देश के विकास-द्वारा शीघ्र खुलना संभव है की ओर गया और उन्होंने गृह मंत्री के नेतृत्व में गृह विभाग के अधीन “सहकार से समृद्धि आत्म निर्भर भारत की ओर” को दृष्टि में रखते हुए एक मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता आन्दोलन के सशक्त व प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

सहकारिता सर्व प्रथम मानव समाज में सहयोग की भावना को बढ़ाते हुए प्रेम के बीज का रोपण कर स्नेह का संचार करती है। सहकारिता $1+1=2$ के सिद्धान्त तक ही सीमित नहीं है। वह $1+1=11$ ग्यारह का सिद्धान्त मानती है तथा उसे ही बढ़ावा देती है, क्योंकि वहाँ किसी का अस्तित्व धूमिल अथवा समाप्त नहीं होता अपितु दूसरे का सहयोग प्राप्त कर अत्यधिक बलशाली हो जाता है।

जो काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता वह मिलजुल कर आसान हो जाता है। कहा गया है- सात पाँच की लाठी।

एक व्यक्ति का बोझ।।



पता : चन्द्रा मण्डप, 370/27, हाता नूरबेग,
संगमलाल वीधिका, सआदतगंज,
लखनऊ-226022
मो0 : 8081867493

वर्तमान समय में संत कबीर की प्रासंगिकता



- गौरी शंकर वैश्य विनम्र
पूर्व सीनियर पोस्ट मास्टर,
डाक विभाग

की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता रही है।

उनका जीवनकाल (जन्म सन 1398 ई. - मृत्यु 1518 ई.) लगभग 120 वर्ष माना जाता है। उनका अवतरण ऐसे समय हुआ, जब समाज में आडम्बर एवं पाखण्ड का बोल बाला था, हिंदू - मुसलमानों में पारस्परिक द्वेष और वैमनस्य की भावना थी, समाज में जाति प्रथा का विष व्याप्त था। रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण जनता का शोषण धर्म के ठेकेदार कर रहे थे। कबीर ने इन सब पर एक साथ प्रहार किया। वे सही अर्थों में प्रगतिशील चेतना से युक्त ऐसे कवि थे, जो अपार साहस, निर्भीकता एवं सच्चाई के हथियारों से सुसज्जित थे।

बढ़ते समय के साथ विश्व में भौतिक सुविधाएँ, साधन - सामग्री, सुख - वैभव, ज्ञान - विज्ञान आदि में वृद्धि अवश्य हुई है, किंतु मानव की सहज वृत्तियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः मानव समाज की विसंगतियां आज भी विद्यमान हैं। कबीर ने अपने युग की जिन - जिन विसंगतियों पर व्यंग्य किया, वे आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक, सटीक और सार्थक प्रतीत होती हैं। भले ही कबीर का जन्म आज से 600 वर्ष पूर्व हुआ है, किंतु उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। कहना अधिक उपयुक्त होगा कि आज उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता तत्कालीन युग की अपेक्षा अधिक है।

क्रांतदृष्टा लोकचेता संत कबीर महाकवि थे। उनका जीवंत काव्य घायल मानवता के घावों पर निरंतर चंदन का अनुलेप करता, चलता चला आ रहा है। वह आज भी भौतिकता की चकाचौंध से



सद्गुरु कबीर साहब की प्रसिद्धि एक समाज सुधारक संत एवं रहस्यवादी कवि के रूप में रही है। उन्होंने अपने समय में व्याप्त सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं आडंबरों का खण्डन किया तथा हिंदू - मुस्लिम एकता का प्रशंसनीय प्रयास किया। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे सही मार्ग दिखाना था। उन्होंने जो गलत समझा, उसका निर्भीकता से खण्डन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति

चुंधियायी मानवता का पथ - प्रशस्त करता आ रहा है। यद्यपि उनका लालन-पालन एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ, किंतु उन्होंने अपने आपको न हिंदू माना, न मुसलमान। वे जाति - पाँति के बंधन में भी नहीं बँधे। उन्होंने सब धर्मों के सार तत्व ग्रहण करके लोकोपयोगी काव्य की रचना की। उनकी सार-ग्राही वृत्ति का परिचय इस दोहे से सहज ही मिल जाता है -

साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।

सार - सार को गहि रहे, थोथा देय उड़ाय।

कबीर किसी एक देश काल के कवि नहीं हैं, वे निरवधि काल और विपुल पृथ्वी के कवि हैं। उनके अनंतर एक ऐसा सार्वभौम कवि है, जो काल के आरपार देखता है। कबीर प्रयोगधर्मी कवि हैं, वे शब्द-जाल नहीं बुनते हैं, अपितु समाज के सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात अपने अनुभवों को काव्य में ढाल देते हैं। इस अर्थ में कबीर कल भी प्रासंगिक थे और आज - कल भी प्रासंगिक रहेंगे।

कबीर पढ़े हुए नहीं, कढ़ें हुए थे। उन्होंने स्वयं कहा है - 'मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ।' उनका अनपढ़ होना उनके जीवंत लोककवि होने का पुष्ट प्रमाण है। उन्होंने लोकज्ञान को श्रेष्ठ माना। उन्हें 'कागद की लेखी' की अपेक्षा 'आँखिन की देखी' पर अधिक विश्वास था। उनके अनुसार मोटे - मोटे अव्यावहारिक ग्रंथों में माथापच्ची करना बेकार है। तभी तो डंके की चोट पर पोंगापंथी पण्डितों को फटकारते हुए उन्होंने कहा -

पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ,

पण्डित भया न कोय।

ढाई आखर प्रेम का,

पढ़े सो पण्डित होय।

कबीर के समय पाखण्डी पण्डित आम जनता को तंत्र-मंत्र के नाम पर अमरता का पट्टा लिख रहे थे और उन्हें लूट रहे थे। आज भी मुल्ला-मोलवी द्वारा मदरसों में और साधु-संतों के आश्रमों में दुराचार की घटनाएं खबरों में आ रही हैं। उनके जादू-झाड़ों की पोल खोलते हुए कबीर ने कहा था -

जो तुम पण्डित आगम जाणो, विद्या व्याकरणां।

तंत मंत सब औषधि जाणो, अंति तरु मरणां।
हिंदुओं की भाँति मुसलमानों के मुल्ला-मोलवी भी 'बहिस्त' का झूठा झांसा देकर निरीह जनता को उल्लू बना रहे थे। कबीर ने इनको भी खरी-खोटी सुनाई-

काजी तैं कवन कतेब बखानी।

पढ़त-पढ़त कैते दिन बीते,

गति एको नहिं जानी।

सांप्रदायिक उन्माद के कारण हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे पर खंजर ताने देखा, तो क्रांतिकारी कवि कबीर कह उठे-

अरे इन दोउन राह न पाई।

हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुरकन की तुरकाई।

तथा

हिंदू कहै राम पियारा, तुरक कहे रहमाना।

आपस में दोउ लरि मुये, मरम न काहू जाना।

मुसलमानों के थोथे पूजा-पाठ के विरोध में उन्होंने कहा -

कांकर पाथर जोरि कय,

मस्जिद लई बनाय।

ता चढ़ि मुल्ला बांग दे,

क्या बहरा हुआ खुदाय।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बाद भी शिक्षित समाज अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए कर्मकाण्ड और अंधविश्वास बहुत अच्छा व्यापार बन गया है। कबीरदास जी ने अंधविश्वास तथा पाखण्ड का सदैव विरोध किया। वे सत्यान्वेशी, मुँहफट और निडर व्यक्ति थे, तभी तो वे मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं-

पाहन पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूँ पहार।

घर की चाकी कोइ न पूजे, पीस खाय संसार।

कबीर का मानना है कि ईश्वर तो हृदय में वास करता है, उसे देवस्थल में व्यर्थ खोज रहे हो-
मोको कहाँ ढूँढ़ें रे बंदे,

मैं तो तेरे पास में।

ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद,

ना काबा, कैलास में।

बाह्याडम्बरो का विरोध करते हुए उन्होंने

रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, तीर्थाटन आदि को दिखावा मात्र बताया-

माला फेरत जुग गया,
गया न मन का फेर।
कर का मनका डार दे,
मनका मनका फेर।

आज भी धर्म के ठेकेदार हिंदुओं-मुसलमानों को परस्पर लड़ाते रहते हैं, वास्तविकता यह है कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, कबीर कहते हैं-

दुइ जगदीस कहाँ ते आया।
कहु कौने भरमाया।

जाति-वर्ण व्यवस्था का घुन समाज को खोखला कर रहा है। कबीर साहब ने जातिवाद, पुरोहितवाद, कठमुल्लावाद आदि कुरीतियों की जमकर निंदा की है-

जो तू बामन बमनी जाया,
तो आन बाट हवे काहे न आवा।
जो तू तुरक तुरकनी जाया,
तो भीतरि खतना क्यँ न कराया।

उनके विचार से कोई छोटा-बड़ा नहीं है। सब ईश्वर की संतान हैं -

जाति-पाँति पूछे नहिं कोई।
हरि को भजै सो हरि का होई।

आधुनिक काल में भी जब मनुष्य अधिक तार्किक हुआ है, तब भी मुस्लिम समुदाय ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नमाज अदा करता है। हिंदुओं द्वारा भी पूजा, कीर्तन, जागरण या अखण्ड रामायण का पाठ, चिल्ला-चिल्लाकर यंत्रवत किया जाता है। कोई नहीं सोचता कि इस शोर में आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, वृद्धजन को नींद नहीं आ रही है, किसी के घर में कोई बीमार कराह रहा है या किसी को रात की शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, इनके स्वभाव और मन-मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सोचिए! इन सब ढकोसलों से कबीर का आत्मा कितना मर्माहत होता होगा!

धर्म के नाम पर पशुओं या मनुष्य की हत्या करने वालों पर कबीर ने बहुत गहरी चोट की है।

कबीर की विशुद्ध अहिंसावादी दृष्टि नया आलोक विखेरती है, यहाँ मुस्लिमों को खूब धिक्कारा है-

दिनभर रोजा रहत हैं,
रात हनत हैं गाय।
यह तो खून, वह बंदगी,
कैसे खुशी खुदाय।

कबीर ने जीवहिंसा का कड़ा विरोध किया है तथा अहिंसा ही परम धर्म बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है, उन्हें उसका दण्ड अवश्य मिलेगा-

बकरी पाती खात है,
ताकी काढ़ी खाल।
जे नर बकरी खात हैं,
तिनके कौन हवाल।

शोषण-अत्याचार करने वालों को भी जीवन की झणभंगुरता के प्रति कबीर सावधान करते हैं -

माटी कहे कुम्हार ते, तू क्या रौंदे मोय।
एकदिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूँगी तोय।

वे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुके वर्णाश्रम व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जहाँ पर ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, ब्राह्मण-शूद्र का कोई भेदभाव न हो। चूँकि वे स्वयं नीच कुल में पले - बढ़े थे, इसलिए इस विषमता को उन्होंने स्वयं देखा और भोगा था। स्थिति अभी भी दुःखद है क्योंकि समाज में जाति प्रथा अभी भी चल रही है। इसी जातिगत भेदभाव पर कड़ा प्रहार करते हुए, वे कहते हैं-

एक बूँद एकै मलमूतर,
एक आम, एक गूदा।
एक जोत तै सब उत्पन्ना,
कौन ब्राह्मण, कौन सूदा।

आज देश में आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा, अनाचार, अत्याचार, बलात्कार, मिथ्याचार, लवजिहाद, मतांतरण, अपहरण जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। अहिंसा और जीव-दयाव्रत का समर्थन करने वाले युगदृष्ट कबीर ने क्रूर-अत्याचारी के दमन का सदा समर्थन किया है। जिस दुष्ट के मरने से सबको सुख मिले, कोई उसे अपघात न कहे, उसे

मारने में कोई पाप नहीं है -

कबिरा सोई मारिये,
जिहि मूये सुख होय।
भलौ-भलौ सब कोई कहै,
बुरा न मानै कोय।

हिंदू-मुस्लिम विवाद आज भी समाप्त नहीं हुआ है। कबीर ने दोनों की पूजा पद्धति को नकारते हुए, निराकार ईश्वर की साधना करना सर्वोत्तम माना है। उनकी लगन का साधन केवल प्रेम है-

एक निरंजन एक अल्लह मेरा।
हिंदू तुरक दहूँ नहीं मेरा।
पूजा करूँ न नमाज गुजारूँ।
निराकार हिरदै नमसकारूँ।

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के भाव पर बल देते हुए, वे ‘जियो और जीने दो’ की बात करते हैं। यह आज भी उन लोगों के लिए सीख है, जो अनाप-शनाप गतिविधियों से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। भौतिकतावादी गलाकाट स्पर्धा के युग में संग्रह करने में लोग वर्षों की योजनाएँ बना रहे हैं। घोटालों से बचने के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों और परिजनों के नाम धन देश और विदेश में जमा कर रहे हैं। इससे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। अतिसंचय के विरुद्ध वे कहते हैं -

साईं इतना दीजिए,
जा में कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ,
अतिथि न भूखा जाय।

आज लोग जरा-जरा सी बात पर लड़ बैठते हैं। आए दिन सदनों में, सार्वजनिक आयोजनों में और कार्य-स्थलों में अपशब्द, गाली-गलौज, मारपीट की घटनाएँ सुनाई पड़ती हैं। कबीर जी कटुवाणी के विरुद्ध थे, उनकी शिक्षा है-

ऐसी बानी बोलिए,
मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करै,
आपहु शीतल होय।
ऊँचे पदों या शासन सत्ता पर बैठे हुए जनसेवकों

नदी

□ गौरी शंकर वैश्य विनम्र

वृद्धा माँ – सी संकेतों में
सुनो! नदी कुछ कहती है।
लोरी-सा मधुरिम निनाद कर
कल-कल धारा बहती है।
हिमखण्डों को ताप मिला,
तब बूँद-बूँद बनकर पिघली
प्रकृति-पुरुष रूपी जीवों का,
करने को उद्धार चली
जिसने पावन अमृत बाँटा
वह अंतर में दहती है।
देवतुल्य जो पूज्य सनातन,
अब उसका सम्मान नहीं
जल से ही रस चेतनता है,
बिन जल के कल्याण नहीं
तन अस्वस्थ है, मन मलीन है
प्रतिपल पीड़ा सहती है।
स्वार्थ में अंधे मानव ने,
किया प्रदूषित निर्मल जल
डाल रहा अपशिष्ट, रसायन,
मिला रहा है वाहित मल
शुष्क अशक्त हुए दोनों तट
उर में सिकता ढहती है।
औद्योगिक अवशिष्ट रोक दें,
दूषित जल का हो शोधन
जल – जीवों की संरक्षा हो,
चले स्वच्छता आंदोलन
पुत्र भगीरथ कब आओगें!
चिंतन में रत रहती है।
सुनो! नदी कुछ कहती है। □□

को जनता का सदैव हित करना चाहिए। स्वयं सुख भोगने मात्र से जनता का क्या लाभ। कबीरदास जी

कहते हैं-

बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर।

आज चारोंओर झूठ का बोलबाला है। लोग तनिक स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलने से नहीं चूकते। इससे खाद्यपदार्थों में ही नहीं, संबंधों में भी मिलावट-गिरावट देखने में आ रही है। फेसबुक और साइबर से जुड़े अनेक अपराध इसी झूठ के परिणाम हैं, जबकि कबीर जी सत्याचरण को ही श्रेष्ठ मानते हैं-

साँच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप।
जाके हृदय साँच है,
ताके हृदय आप।

ज्ञानमार्गी कबीरदास जी का हिंदी साहित्य एवं लोकजीवन में मूर्धन्य स्थान है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पावनता पर बल दिया। समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता उनके उपदेशों का काव्यमय स्वरूप था। तत्कालीन समाज की विसंगतियों और विषमताओं को उन्होंने निर्द्वंद्व भाव से अपनी साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनका प्रमुख गुण था। 'जस की तस धर दीनी चदरिया' से उनका आशय स्वच्छ छवि और निर्मल चरित्र से है, यह मानव को सदाचरण की सीख देने के लिए पर्याप्त संकेत है। उनकी शिक्षाएँ आज भी हमारे लिए उपयोगी और प्रासंगिक हैं।

कबीर ने न केवल अपनी वाणी से, अपितु अपने आचरण से अपने सुनने वालों और साथ चलने वालों को मानवीय सद्गुणों और श्रेष्ठ संस्कारों से इतना अनुप्राणित किया कि हमारी संपूर्ण वसुधा नकारात्मकता से मुक्त हो सके।

कबीर की रचनाओं का संकलन 'बीजक' नाम से किया गया है, जिसके तीन भाग हैं-साखी, सबद और रमैनी। इन रचनाओं में कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों, रहस्यवादी भावना, अलौकिक प्रेम तथा दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी



वाणी ने भारतीय जनमानस में मानवीय संस्कृति की स्थापना की है। आज उनके अवसान-स्थल 'मगहर' को एक बड़े ज्ञानकेंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रयास महान संत कबीर की प्रासंगिकता को स्वतः सिद्ध करता है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को 'वाणी का डिक्टेटर' बताते हुए कहा - "हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती, अक्खड़पन, स्वभाव और सब कुछ यहीं झाड़-फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियाँ श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं।"

कबीर का वैचारिक आंदोलन आज भी वर्गविहीन समाज के निर्माण, मानवता की पुर्नस्थापना, प्रेम, हिंदू-मुस्लिम सौहार्द, आडंबरहीन भक्ति तथा नैतिकता के जागरण के लिए नितान्त प्रासंगिक है। कबीर के विचारों का पुनः अनुसरण समय की मांग है। □

पता : 117 आदिलनगर, विकासनगर
लखनऊ 226022
दूरभाष 09956087585



– अयोध्या प्रसाद

सपनों के बीज

मैंने बड़ी आशा से, बोये
सुंदर सपनों, के बीज !
किया अभिनव प्रयोग !
....कि वे, पल्लवित होकर
खूब फूलेंगे, फलेंगे !
सुंदर खूब, सपने सजेंगे !

मेरे इस पागलपन पर
लोग, खूब हंसे, खिलखिलाए !
बोले- सुंदर सपनों के बीज ?
....आखिर कौन बोता है !
वाकया तो ये,
बिल्कुल नया, अनसुना है !
मैं निःशब्द रहा, तटस्थ रहा,
उनके स्वाभाविक प्रश्न पर !
और अपने लक्ष्य के प्रति
गम्भीर रहा, आश्वस्त रहा !

मैंने उनको पोसा
भावनाओं के जल से !
स्नेह की धूप से !
और विचारों की खाद से !
मेरी आशा के अनुरूप
....बीज अंकुरित हुए,
....पल्लवित हुए !

मगर न जाने किस घड़ी
सांसारिकता के ताप से
वे प्रभावित हो गए !

....पौधे वीभत्स हो गये !
स्वार्थ की लपट से !
अहं की प्रचंडता से !
धूर्तता की कालिख से,
चालाकी के जहर से !

....उग आए कांटे उनमें,
ढेर से, अनगिनत !
और उन्होंने ढंक लिया
मासूम पौधों को ।
अपनी कंटीली सत्ता से !

मैं अचंभित था, हैरान था !
खुद की उधेड़ बुन में
उलझा था, परेशान था ।
फिर भी मैंने उन्हें
अलग नहीं किया ।
अपनी घरेलू क्यारी से !
क्योंकि मैंने पोसा था !
उन्हें, बड़ी दुश्वारी से !

□□□


पता : म०नं०-551घ/506, नन्दनगर, (निकट जय प्रकाश नगर)
आलमबाग, लखनऊ-226005 म०- 8318926738



विभिन्न रोगों की एक दवा 'पानी'

सूर्योदय से पहले उठकर बिना मुँह धोये या ब्रश किये पिया गया पानी शरीर में औषधि की तरह काम करता है। ताँबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ सवा लीटर पानी सुबह पीने से कई रोगों में लाभदायक होता है। इससे पेट और गुदों की सम्पूर्ण सफाई हो जाती है और शरीर का सारा मल और विषैले पदार्थ, मल-मूत्र और पसीने द्वारा बाहर निकल जाते हैं। शरीर में स्फूर्ति भर जाती है और शरीर क्रान्तिमय बनता है। जो लोग पान-मसाला, तम्बाकू, बीड़ी-सिगरेट, गांजा, शराब आदि विषैली वस्तुओं का सेवन करते हैं उन्हें तथा अक्सर जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए सुबह का यह जल अत्यन्त उपयोगी होता है। जिन लोगों को किसी भी तरह के नशे की लत या आदत है, उनके लिए नींबू के रस में की गयी अजवायन और सौंफ तथा नमक मिलाकर पानी पीना इस दोष को दूर या कम करता है। सुबह सूर्योदय के बाद नीम और तुलसी के 5-5 पत्ते प्रतिदिन चबाकर ऊपर से थोड़ा पानी पीने से कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचा जा सकता है।

नियमित रूप से सुबह पानी का सेवन करने से कई बीमारियों में लाभ मिलता है त्वचा पर झुर्रियाँ, सिर दर्द, लकवा (पैरालिसिस), मोटापा, उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, मूच्छा, निम्न रक्तचाप, कफ-खांसी, दमा, तपेदिक (टी.बी.), मधुमेह (डायबिटीज), पथरी और अन्य गुर्दे के रोग, धातुस्राव, स्त्रियों की मासिक और प्रदर सम्बन्धी समस्त बीमारियाँ, गर्भाशय का



श्रीमती दीप माला सिंह
एम०ए० शिक्षा शास्त्र, बी०एड०

कैंसर, अन्य स्थानों का कैंसर, अम्लता, कब्ज, अपच, भूख न लगना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में कमी, बवासीर, शरीर पर सूजन, विभिन्न प्रकार के बुखार, कील-मुहासे, फुंसी-फोड़े, बात, पित्त, कफ-अन्य अधिसंख्य रोग, जोड़ों का दर्द और गठिया आदि अनेक रोगों में प्रातः काल नियमित रूप से जल पीने पर लाभ प्राप्त होता है।

गुनगुने पानी में एक नींबू और शहद (एक चम्मच) मिलाकर लेने से मोटापा दूर होता है और चेहरे पर निखार आ जाता है। खाने के साथ पानी कम ही पियें या बिल्कुल न पियें। खाने के साथ अधिक मात्रा में पिया गया जल आमाशय के रसों की भोजन पर होने वाली क्रियाओं को असन्तुलित कर देता है। इस कारण भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो पाता और शरीर में रोग पनपने लगते हैं। अपच, कब्ज और भूख न लगना जैसी बीमारियाँ लग जाती हैं। भोजन या नाश्ता करने के 2 घण्टे बाद ही

पानी पीना हितकर रहता है।

बीमार या बहुत ही नाजुक प्रवृत्ति के लोग एक साथ 4 गिलास पानी न पी सकें, तो पहले वे 1-2 गिलास से आरम्भ करके धीरे-धीरे बढ़ाकर 4 गिलास पर आ जायें फिर नियमित रूप से 4 गिलास पानी पीते रहें। कई रोगों में ठंडा पानी और कई रोगों में गरम पानी दवा का काम करते हैं। आग से जले और झुलसे हुए शरीर पर ठण्डा पानी न केवल जलन को दूर करता है, बल्कि शरीर पर घाव और फफोले भी नहीं पड़ने देता। यदि पूरा शरीर जल गया हो, तो पूरे शरीर को (नाक को छोड़कर) लगभग 1-2 घण्टे तक हौद या टब में डुबोए रखें। फिर अस्पताल ले जायें। इसी तरह जब किसी को मोच आ जाये या चोट लगे, तो तुरन्त उस स्थान पर खूब ठण्डे पानी की पट्टी लगा दें, बर्फ भी लगा सकते हैं। इससे न तो सूजन होगी, न दर्द बढ़ेगा। गरम पानी की पट्टी लगायेंगे या सेंक करेंगे, तो सूजन आ जायेगी और दर्द बढ़ जायेगा।

यदि चोट लगने या कटने से खून आ जाये तो वहाँ बर्फ या खूब ठण्डे पानी की पट्टी चढ़ा दें, आराम होगा। इंजेक्शन लगाने के बाद यदि उस स्थान पर सूजन आ जाय या दर्द बढ़े, तो ठण्डे पानी की पट्टी या बर्फ लगायें। वहाँ गरम पानी की सेंक न करें। जिन लोगों को रात में नींद न आती हो, या देर से आती हो, वे सोने से पहले दोनों पैरों को घुटनों तक, सहने योग्य गरम पानी से भी बाल्टी या टब में 15 मिनट डुबोये रखें। इसके बाद पैरों को बाहर निकालकर पोछ लें और सो जायें। नींद आयेगी। यह ध्यान रखें कि जब गरम पानी में पैर डुबोयें, तब सिर पर ठण्डे पानी का गीला निचोड़ा हुआ तौलिया अवश्य रखें।

वात रोगों, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गठिया, कन्धे की जकड़न आदि में गरम पानी से लाभ होता है। इन रोगों में रोगी को गरम पानी की भाप को सेक दें। अस्पतालों में पतले



दस्त या उल्टी-दस्त के रोगियों को सैलाइन का पानी चढ़ाया जाता है। यह सैलाइन नमकीन पानी होता है। इससे रोगी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों को पतले दस्य या डायरिया में जीवन रक्षक घोल बनाकर देने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। शरीर में पानी की कमी न होने पाये इसलिए यह घोल दिया जाता है; क्योंकि पानी की कमी से मृत्यु तक हो सकती है। अधिक पानी पीने से अधिक पसीना होता है जिसकी वजह से शरीर पर फोड़े-फुंसी और चेहरे पर मुहासे आदि भी नहीं होते। नियमित तौर पर गर्म पानी की भाप न केवल कफ और साँस सम्बन्धी रोगों को ठीक करती है, बल्कि चेहरे के रोग छिद्रों को खोलकर, उसे मुहासों से रहित और कान्तिमय भी बनाती है।

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिवेश में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना जीवन-यापन असम्भव है। लोगों को अधिक से अधिक जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। शुद्ध जल स्वास्थ्य की दृष्टि से चतुर्दिक ढंग से उपयोगी है। 'विश्व जल दिवस' 22 मार्च अपने उद्देश्य पर तभी सफल होगा जब आम नागरिक पानी को बर्बाद होने से रोकने में मदद करेंगे। □

पता- एस-2/376 ए-12,
सिकरौल, भोजपूर वाराणसी।
उ०प्र०। पिन-221002



- हरी राम यादव फैजाबादी
भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्र लेखक



‘सोच समझकर वोटर भइया’

बजी उठी दुंदुभी चुनाव की,
याद आया माननीयों को गांव।
जो पांच साल थे पलथी मारे,
हरी चल पड़े फिर गांव की ठांव।
हरी चल पड़े फिर गांव की ठांव,
दांव फिर पिछला आजमाने।
आज तक न जिनको जानते,
फिर खड़े होने उनके पयताने।

सोच समझ कर वोटर भइया,
करना तुम सब अबकी मतदान।
अपने बच्चों का भविष्य देखना,
और देखना अब अपना सम्मान।
जाति धर्म के झांसे में न आना,
नहीं तो हो जाओगे गुमनाम।
मुफ्त के फेरे में फिर न पड़ना,
नहीं तो तानों का तनेगा बितान।।

□□□

पता : सतगुरु पुरम कालोनी
चरन भट्टा रोड, निकट एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ
मो. -7087815074
ईमेल-hariram1511@gmail.com



लशुन (तद्भवः लहसुन) प्याज कुल (एलिएसी) की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सैटिवम एल है। इसके निकटवर्ती सम्बन्ध में प्याज, शैलट, लीक, चाइव, वेल्शप्याज और चीनी प्याज शामिल हैं। लशुन पुरातन काल से दोनों पाकावैधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक विशेष गन्ध होती है, तथा स्वाद तीक्ष्ण होता है जो पकाने से काफी हदतक बदल कर मृदुल हो जाता है। लहसुन की एक गॉठ (बल्ब) जिसे आगे कई मॉसल पुथी (लॉंग या फॉक) में विभाजित किया जा सकता है। इसके पौधो का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला भाग है। पुथी को बीज उपभोग (कच्चे या पकाया) और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियाँ तना और फूलों का भी उपभोग किया जाता है। आम तौर पर जब वो अपरिपक्व और नर्म होते हैं। इसका कागजी सुरक्षात्मक परत छिलका जो इसके विभिन्न भागों और गॉठ से जुड़ी जड़ों जुड़ा रहता है, एक मात्र अखाद्य हिस्सा है। इसका प्रयोग गले तथा पेट सम्बन्धी बीमारियों में होता है। इसमें पाये जाने वाले सल्फर के यौगिक ही इसके तीखे स्वाद और गन्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही इसकी पहचान है। जैसे ऐलिसिन, ऐजोइन इत्यादि। लशुन सर्वाधिक चीन में उत्पादित होता है। उसके बाद भारत में पाया जाता है। लशुन में रासायनिक तौर पर गन्धक

आओ जानें लहसुन को



रामफेर

पुस्तकालयाध्यक्ष,

केन्द्रीय पुस्तकालय, पशुपालन विभाग

की आधिक्यता होती है। इसे पीसने पर ऐलिसिन नामक यौगिक प्राप्त होता है, जो प्रतिजैविक विशेषताओं से भरा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन एन्जाइम तथा बिटामिन बी, सैपोनिन, फ्लैवोनॉइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं।

लहसुन आयुर्वेद और रसोई दोनों की दृष्टि कोण से लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। भारत का चीन के बाद विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है जो लहसुन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाये जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 6.3 प्रतिशत, वसा 0.1 प्रतिशत, कार्बोज 21 प्रतिशत, खनिज पदार्थ 1 प्रतिशत, चूना 0.3 प्रतिशत, लोहा 1.3 मिलीग्राम, प्रति 100 ग्राम होता है। इसके अतिरिक्त बिटामिन ए, बी, सी एवं सल्फ्युरिक एसिड विशेष मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाये जाने वाले सल्फर के यौगिक ही इसके तीखे स्वाद और गन्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें पाये जाने वाले तत्वों में एक ऐलीसिन भी है, जिसे एक अच्छे बैक्टीरिया रोधक फफूंदरोधक एवं एंटी आक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। लहसुन एक बारहमासी फसल है जो मूल रूप से मध्य एशिया से आया है,

जिसकी खेती अब दुनियाँ भर में होती है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत 17,852 मीट्रिक टन जिसका मूल्य 3877 लाख रुपये का निर्यात करता है। पिछले 25 वर्षों में भारत में लहसुन का उत्पादन 2.16 से बढ़कर 8.35 लाख टन हो गया है।

खेती, लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध फसल है। भारत में लहसुन की खेती को ज्यादातर राज्यों में की जाती है। लेकिन इसकी मुख्य रूप से खेती गुजरात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी की जाती है। इसका 50 प्रतिशत से भी ज्यादा उत्पादन गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों में किया जाता है। लहसुन के लिए दोमट मिट्टी काफी उपयुक्त मानी गयी है। इसकी खेती रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी में भी की जा सकती है। जिसकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होने के साथ ही साथ जल निकास की अच्छे से व्यवस्था हो, वे इस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी गयी है। रेतीली या ढीली भूमि में इसके कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। जिस वजह से कम उपज हो पाती हैं। प्रजातियाँ एग्रीफाउण्ड वाइट, (जी-41), यमुना वाइट, (जी-1), यमुना वाइट (जी-50), (जी-51), (जी-282), एग्रीफाउण्ड पार्वती (जी-313) और एचजी-1 आदि।

लहसुन को खाद एवं उर्वरकों की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। इसलिए इसके लिए मिट्टी की अच्छे से जाँच करवा कर किसी भी खाद व उर्वरक का उपयोग करना उचित माना गया है। इसकी बुवाई का सही समय उसके क्षेत्र जगह व मिट्टी पर निर्भर करता है। इसकी पैदावार अच्छी करने के लिए उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में अक्टूबर-नवम्बर माह सही माना गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुवाई मार्च और अप्रैल के माह में करना उचित है। लहसुन की बुवाई के बाद मिट्टी और क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद करीब 10 से 15



दिन के बाद सिंचाई करें। गर्मी माह में हर सप्ताह इसकी सिंचाई करें। जब इसके कन्द (शल्क) कन्दों का निर्माण हो उसे समय फसल की सिंचाई वहीं से करें। लहसुन की फसल की उपज कई चीजों पर निर्भर करती है, जिनमें मुख्य रूप से इसकी किस्म भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसल की देखरेख है। इसके साथ ही लम्बे दिनों वाली किस्में अधिक उपज देती हैं। इन फसलों से लगभग 100-200 कुन्तल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है।

लहसुन को आज लगभग आम से खास सभी लोग आसानी से जानते व पहचानते हैं। लहसुन जीव-जीवन में प्राकृति का वरदान के रूप में आज हमारे बीच में उपलब्ध रहता है। लहसुन मसालेदार खाने का स्वाद बढ़ाता है। वहीं इसके सेहतमंद फायदों का भी कोई जवाब नहीं है। लहसुन की ही तरह शहद भी गुणों का खजाना है। यह सौंदर्य समस्याओं को खत्म करने के साथ ही शरीर को डिटॉक्स करके हर तरह के इंफेक्शन को भी खत्म करता है। ऐसे में लहसुन और शहद दोनों चीजों को मिलाकर खाना बेमिसाल फायदे देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन के नियमित इस्तेमाल से आप बढ़ती उम्र में भी युवापन का एहसास कर सकते हैं। लहसुन पेट के कीड़ों को निकाल देता है। लहसुन घावों को शीघ्र भरता है। लेकिन इन

तमाम रोगों में कच्चा लहसुन ही विशेष फायदेमंद होता है, न कि व्यवसायिक रूप में लहसुन से बनायी गयी दवाई।

अगर आप हर वक्त बीमार रहते हैं और शरीर में हमेशा थकान की वजह से आपका मन किसी काम में नहीं लगता तो इसका साफ मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो इंसान को सौ तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन और शहद को एक साथ मिलाकर खाने से ये एण्टीबायोटिक का काम करते हैं। यह एक प्रकार का सूपर फूड भी है। बच्चे बूढ़े और जवान बड़े शौक के साथ ही इसे खाते हैं।

लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता रहा है। इसका अलग तरह का तीखा स्वाद इसकी विशेषता है। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की गंध भी होती है जो थोड़ा अप्रिय होती है। अधिकाँश लोगों को यह कम ही पसन्द आती है। पर लहसुन में यह तीखा स्वाद व तीखी गंध इसके सलुर युक्त तत्व एलीसिन के कारण होती है। लहसुन को काटने या पीसने पर ही फायदेमंद एलीसिन प्राप्त होता है। इसी कारण लहसुन औषधि का काम करता है।

लहसुन पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं मानवों के शरीर के सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। यह एक एण्टीबायोटिक औषधि है। यह रक्त को पतला करता है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है



और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका एलिसिन तत्व हाई ब्लड प्रेशर को कम बनाये रखने में मददगार होता है। लहसुन नियमित खाने से ब्लड क्लोटिंग की समस्या से बचाव हो सकता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ दूर रहती हैं।

यह प्राकृतिक एण्टी बायोटिक एण्टी फंगल ओर एण्टी बैक्टीरियल होता है। लहसुन विजातीय पदार्थों को शरीर से बहार निकाल देता है। रेडिएशन के दुष्प्रभावों को मिटाता है। इसका सेवन हार्ट, आँतों, फेफड़ों, स्किन प्रॉब्लम आदि के लिए फायदेमंद होता है। लहसुन कील, मुहाँसे, फोड़े-फुँसी, एसिडिटी-कब्ज आदि को ठीक करने में मददगार होता है। पेट के कीड़े मिटाने में लहसुन विशेष प्रभावकारी होता है।

लहसुन के सेवन का सबसे आसान व लाभदायक तरीका लहसुन के छोटे-छोटे टुकड़े करके पानी के साथ निगलना होता है। लहसुन की चटनी बनाकर खाना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे किसी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सैंडविच, पकौड़ी, भेलपुरी, पराठा, (लहसुन, नमक, मिर्च, धनियाँ आदि मिलाकर चटनी बनाकर खाया जा सकता है यह बहुत ही स्वादिष्ट एवं शरीर के लिए फायदेमन्द होता है।) आदि। लहसुन की प्राकृति गर्म होती है। इसमें तेज गंद होती है। लहसुन को छीलकर आठ घंटे पानी या छाछ में भिगोकर खाने पर गंध नहीं आती है। सूखा धनियाँ चबाने से भी लहसुन की गंध मिट जाती है। लहसुन का उपयोग करते वक्त कुछ सावधानी रखनी चाहिए। कच्चा लहसुन अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। यदि एलर्जी हो तो लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ दवाओं के साथ लहसुन का प्रयोग बंद करना पड़ सकता है।

लहसुन से पुनःयौवन: लहसुन से कायाकल्प अमृत बनाकर लेने से कायाकल्प होकर पुनःयौवन की प्राप्ति होती है। यह बहुत आसान व सुलभ नुक्शा है, जिसे उपयोग में लाकर इसका फायदा

लिया जा सकता है। इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। कुछ एक विधियों इस प्रकार हैं- 250 ग्राम लहसुन छीकर बारीक पीस लें। लगभग 25 नीबुओं का रस निकालकर एक कौंच के बर्तन में भर लें। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन डालकर अच्छे से हिला लें। इसे 24 घंटे के लिए रख दें। कायाकल्प अमृत तैयार है। इसमें से एक चम्मच रस लेकर एक कप गुन-गुने पानी में मिलाकर पी लें, लगातार 15 दिन तक पीएं। शरीर में पुनःयौवन के चमत्कार को जरूर महसूस करेंगे। ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का मानना है।

लहसुन के घरेलू नुस्खे- एक चम्मच शहद में चार-पाँच बूँद लहसुन का रस मिलाकर सुबह-शाम लेने से खॉसी ठीक हो जाती है। एक कली लहसुन और एक काली मिर्च पीसकर सूँघने से पलू जल्दी ठीक होता है। ज्यादा ठण्डी चीजे खाने से या तेज बोलने से गला बैठ गया है तो गर्म पानी में लहसुन का रस डालकर गरारे करने से गला ठीक हो

जाता है। लहसुन को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को अलमारी या अन्य जगह डालने से कॉकरोच झींगुर कीड़े आदि नहीं आते हैं। कमरे में कलर करवाने से तेज गंध आती है। चार-पाँच कली लहसुन बारीक काटकर कमरे में फैला देने से गंध चली जायेगी। चींटियों भगाने के लिए उनके घर के पास लहसुन छीकर रख दो चींटियों भाग जाएगी। छिपकली आती हो तो दरवाजे के पास लहसुन रखने से इसकी गंध से छिपकली को दूर रखेगी। अधिका मात्रा में लहसुन छीलना हो तो हाथों में तेल लगा लेना चाहिए। इससे हाथों में जलन नहीं होगी। लहसुन छीलना आसान भी होगा। लहसुन की कलियां को अलग करके थोड़ी देर पानी में भिगों देने से छिलका जल्दी निकल जाता है।

लहसुन आमतौर पर किचन (रसोई-घर) में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है। हम सब्जी-दाल आदि में अच्छे टेस्ट के लिए लहसुन का



इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लहसुन के कई और भी फायदें हैं, जिसे लोग नहीं जानते रोज नियमित तौर पर लहसुन का सेवन शरीर की तमाम व्याधियों को दूर कर देता है। लहसुन कई बीमारियों की रोक-थाम और उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट लहसुन की कली खाने से कई रोगों की समस्या का समाधान होता है अपने आप हो जाता है। निहार मुँह खाली पेट लहसुन खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है। लहसुन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। हम आपको बता रहे हैं लहसुन के सेवन से होने वाले तमाम फायदों के बारे में। बस यूँ समझें आज की हमारी अहं जरूरत लहसुन है।

दाँत दर्द से दिलाएं निजात- अगर आपके दाँतों में दर्द हो रहा है तो लहसुन की एक कली काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण दाँत के दर्द से राहत दिलाता है। इसके लिए इसकी एक कली पीसकर दाँत के दर्द के जगह पर लगा दें।

हाई ब्लड प्रेशर को करें कंट्रोल- इसका सेवन करने से न केवल ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है बल्कि दिल से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है।

पेट संबंधी समस्या को दूर- लहसुन पेट संबंधी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इसके सेवन से आपके पेट में मौजूद विशाक्त पदार्थों को साफ कर देता है। इसके साथ ही **नर्सों में हो रहीं इनफ्लेक्शन को करें कम-** एक शोध में ये बात सामने आई कि खाली पेट लहसुन का सेवन करने से नर्सों में इनफ्लेक्शन की समस्या दूर हो जाती है।

कोलेस्ट्रॉल को करें कंट्रोल- अगर आप लहसुन का सेवन खाली पेट करेंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। **भूख बढ़ाएं-** अगर आपको भूख कम लगती हो तो लहसुन का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह आपके

डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, जिससे आपकी भूख भी बढ़ जाती है। कभी-कभी आपके पेट में एसिड बनने लगता है। लेकिन इसका सेवन करने से पेट में एसिड बनने से रोकता है। जिससे आपको तनाव से भी निजात मिल जाता है।

श्वसन तंत्र को करें मजबूत- लहसुन आपकी श्वसन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद है। इसका सेवन करने से अस्थमा, निमोनियाँ, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फेफड़ों में जमाव और कफ आदि से निजात और बचाव होता है। दिल को स्वस्थ रखता है। धमनी कभी-कभी अपना लचीलापन खो देती हैं, ऐसी स्थिति में तब लहसुन उसको लचीला बनाने में बहुत मदद करता है। फ्री ऑक्सिजन रैडिकल्स से हृदय की रक्षा करने में भी मदद करते हैं। सल्फर यौगिक रक्त कोशिकाओं को बंद होने से बचाता है। लहसुन हमारे लिए प्राकृतिक उपहार है।

इस प्रकार से यह देखा गया है कि लहसुन रसोई घर का राजा होता है। यह हर मसाले, साग, शब्जी में डाला जा सकता है। इसके साथ ही यह स्वस्थ शरीर के लिए बहुउपयोगी होता है। यही उपयोगिता के कारण आज भी इसकी माँग सारा संसार में बराबर बनी हुई है। इसकी खेती करके अपनी गरीबी को दूर सकते हैं, इसके साथ ही लहसुन का नियमित प्रकार से सही ढंग से प्रयोग करके नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी आयुर्वेदाचार्य से जरूर संपर्क रखना चाहिए। अति (अधिकता) हमेशा घातक होती है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसलिए लहसुन मसाला के साथ-साथ जीव-जीवन के लिए एक औषधिक कन्द है। इसकी पत्ती, तना और कण्ड तीनों ही मानव जीवन के लिए बहुउपयोगी है। □

पता : जी0 एफ0-1, पशुपालन कालोनी,
बादशाहबाग, फैजाबाद रोड,
लखनऊ-226007.
मो0 : 9956696645

हाथ लगाना रे

छुई मुई मेरा मन हुआ, ना हाथ लगाना रे।

बसन्त मेरे द्वारे आया, ना हंसी उड़ाना रे।।

पुरबाई ब्यार आई,

आहन किसे तुम्हारे।

गीत गुंजित हो गये,

मधुर होंठ पुकारे।।

तिनके बहुत सहारे, ना हाथ किनारा रे।

छुई मुई मेरा मन हुआ, ना हाथ लगाना रे।

वीणा में मुखरित हो आये,

कितने गीत तुम्हारे।

एक वेदना मुखरित हो गई,

सारे रीत तुम्हारे।।

सखियां छूटी, गलियां भूली, अब देश बिराना रे।

छुई मुई मेरा मन हुआ, ना हाथ लगाना रे।

धरती पर उतरा बसन्त,

पीली हुई धरा।

पीली ओढ़ चुनरिया निकली,

पीले हाथ धरा।।

फागुन मेरे आंगन आया, केसू रंग उड़ाना रे।

छुई मुई मेरा मन हुआ, ना हाथ लगाना रे।।

□□□

पता : नई बस्ती (टंकी के पीछे) बजरिया,
औरंगाबाद (बुलन्द शहर) उ०प्र० पिन- 203401

मो. - 9358186320, 9411834980

ईमेल-rajeshmedia15@gmail.com

पत्रकारिता के प्रकाश स्तम्भ शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी

व्यक्तित्व, व्यक्ति की वह विशेषता है, जो उसे अन्य मनुष्यों से अलग करती हुई उससे निजत्व के स्वरूप का निर्धारण करती है। इसका निर्माण व्यक्ति के संस्कार, समाज, वातावरण और शिक्षा संस्कृति के माध्यम से होता है किन्तु इस निर्माण में व्यक्ति नहीं। इस प्रकार व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वयं उपार्जित तत्व है। इस निर्माण प्रक्रिया में शारीरिक तथा मानसिक दो मूल कारण होते हैं। इन्हीं कारणों से मनुष्य प्रत्येक क्षण अपना निर्माण करता हुआ अनवरत आगे बढ़ता है।

भारतवर्ष में कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व सम्पन्न पत्रकार हुए हैं, जिनकी महानता, त्याग, तपस्या और आचरण पर पत्रकारिता जगत को नाज है। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी भी इन्हीं विशेषताओं से विभूषित थे। विद्यार्थी जी पत्रकारिता के क्षेत्र में सन् 1907 में आये। वे इलाहाबाद से प्रकाशित कर्मयोगी में लेख, टिप्पणियाँ लिखते और समाचारों का संग्रह भी करते थे। पत्रकारिता की दीक्षा उन्होंने कर्मयोगी के सम्पादक सुन्दरलाल से प्राप्त की थी। गणेश जी ने स्वराज्य में भी लिखा था। उन्होंने पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर 'आत्मोत्सर्ग' नाम से लेख लिखा जो सन् 1909 की सरस्वती में प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी ने विद्यार्थी जी के ज्ञान गरिमा को परखकर ही 2 नवम्बर, 1911 में सरस्वती के सम्पादन कार्य में उनको अपना सहायक बनाया। महावीर जी को विद्यार्थी जी कितने प्रिय थे, उसका प्रमाण इस कथन से स्पष्ट होता है जब तक मेरे पास रहे, गणेश ने बड़ी मुश्तैदी और बड़े परिश्रम



श्रीमती कुसुम सिंह
(शिक्षिका)

से काम किया। प्रतिदिन दो मील दूर शहर से जोड़े जाते और शाम को लैटते। उनकी शालीनता, सृजनता, परिश्रम शीलता और ज्ञानार्जन की सदिच्छा ने मुझे मुग्ध कर लिया। 'सरस्वती' द्वारा उन्हें पत्रकार कला का ज्ञान तो प्राप्त हुआ पर वह उनके राजनीतिक विचारों का वाहक नहीं थी। 'सरस्वती' के बाद 'अभ्युदय' में आये विद्यार्थी का कार्य अग्रलेख और टिप्पणियों के कारण ही पत्र की प्रसार संख्या में वृद्धि हुई थी।

सफल पत्रकार वही हो सकता है जो सत्य या असत्य के झगड़े में न पड़कर समाज के प्रति अपनी सम्पूर्ण जिम्मेदारियों का अनुभव करता हो। गणेश जी ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने देश की विचारधारा को नयी दिशा देने के साथ ही उसमें नये और मौलिक विचारों का समावेश भी किया। विद्यार्थी जी का राजनैतिक और सामाजिक जीवन जहाँ एक उज्ज्वल प्रकाश था वहीं उनका साहित्यिक और सम्पादकीय जीवन उससे अधिक प्रखर था। वे जन्मजात वे पत्रकार थे।



उनके शरीर का रोयां-रोयां सम्पादकीय विभूति से विभूषित था। जिन गुणों के कारण सम्पादक को ख्याति मिलती है उन गुणों से वे अच्छी तरह विज्ञ थे। इस कला में जितने वे निपुण थे, उतना पत्रकारिता जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता। पत्रकार का सर्वोपरि गुण होता है, अपने पाठकों की मनोवृत्ति को पहचानना। गणेश शंकर विद्यार्थी इस कला के पूर्ण पण्डित थे। पत्र का सम्पादन करते समय वे बराबर इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं कोई ऐसी चीज न प्रकाशित हो जाय जो आम पाठक की समझ से परे हो। एक कविता के विषय में उनके विचार थे भाई जिस जिस कविता को हम लोग नहीं समझते, उसको हमारे पाठक नहीं समझ सकते। ऐसी कविता, अच्छी होने पर भी किस मतलब की।

कर्तव्य परायणता उनके पत्रकार व्यक्तित्व में कूट-कूट कर भरी थी। 'प्रताप' में प्रकाशित सभी तरह से समाचारों, लेखों के प्रति वे अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण ध्यान रखते थे। कोई भी सामग्री बिना अच्छी तरह जाँच पड़ताल किये प्रकाशित नहीं करते थे। जाँच में सत्य पायी गयी घटना का प्रकाशन वे करते, चाहे उसके लिए उन्हें तन-मन और धन का त्याग अवश्य करना पड़े। वे कभी प्रलोभनों के चक्कर में नहीं पड़े।


पत्रकार के अन्तर्गत अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु वृत्ति का होना अत्यन्त अनिवार्य है। जिज्ञासा भाव से विहीन पत्रकार सफल पत्रकार कहलाने रूप से विद्यमान था। वहाँ क्या हो रहा है? कौन क्या कर रहा है? किसने कौन सी नयी बात निकाली? आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे बराबर उत्कण्ठित रहते थे। 'प्रताप' कार्यालय से सभी पत्रों का वे पूर्णरूपेण अध्ययन करते थे। उनकी ग्राह्य और स्मर शक्ति अत्यन्त तीव्र थी। पत्र देखने मात्र से ही उसकी मुख्य बातों से परिचित हो जाते थे। संवादों के सम्पादन, घटनाओं और समाचारों के चयन, लेखों के काट-छाँट, संकलन और सम्पादकीय विचार-प्रदर्शन में वे अत्यन्त निपुण थे। वे लेखों में

दो-चार शब्द इस तरह परिवर्तित कर देते थे कि लेखों के पूरे भाव ही बदल जाते थे। वे आकर्षक और संजीदा हेडिंग देने, मेटर को सुन्दरता के साथ सजाने, चित्रों का वांछनीय परिचय लिखने, छोटी-छोटी बातों पर चुभती टिप्पणियाँ लिखने में सिद्धहस्त थे।

विद्यार्थी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य की भी उत्कृष्ट सेवा की। उन्होंने 'प्रताप' के द्वारा बहुत से लोगों को कवि, लेखक और सम्पादक बनाया। इसी पत्र के द्वारा गणेश जी ने हिन्दी गद्य के सम्पादकीय रुतम्भों में तो वे ओजस्वी, प्रभावशाली और गम्भीर लेख लिखते थे। समय-समय पर लेख, विविध छद्म नामों से प्रकाशित हुए हैं। 'भारतीय युवक' हरि दिवाकर, वक्रतुण्ड, कलाधर, लम्बोदर, बन्दे मातरम् आदि। 'प्रताप' के प्रकाशन के पूर्व उनके लेख मूल नाम के अलावा गजेन्द्र, श्रीकान्त, एम०ए० आदि उप नामों से सरस्वती अभ्युदय एवं हितवार्ता में प्रकाशित होते थे। विद्यार्थी जी प्रभा नामक राजनैतिक पत्रिका के भी सम्पादक रहे हैं।

गणेश जी सम्भवतः हिंसा के पक्षपाती नहीं थे। वे शान्ति और वैचारिक क्रान्ति में विश्वास करते थे। 24 मार्च 1931 जब कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ तो विद्यार्थी जी उस साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने के प्रयास में 25 मार्च 1931 को शहीद हो गये। इस दंगे में जब कोई संज्जन उन्हें बचाने के लिए गली में घसीटने लगे तो उस महान् आत्मा की अन्तिम अमरवाणी ने कहा, क्यों घसीटते हो मुझे। मैं भागकर जान नहीं बचाऊँगा। एक दिन मरना तो है ही। अगर मेरे मरने से ही इन लोगों के हृदय की प्यास बुझाती हो, तो अच्छा है कि मैं यहीं अपना कर्तव्य पालन करते हुए आत्म समर्पण कर दूँ। उनके इस कथन में समस्त धर्मों, सिद्धान्तों, आदर्शों और मानवीयता का मूल रूप परिलक्षित होती है। विद्यार्थी जी की मृत्यु पर महात्मा गाँधी और सम्पादकाचार्य बनारसीदास चतुर्वेदी के विचार उल्लेखनीय हैं। गाँधी जी ने तार में लिखा यद्यपि हृदय खून के आँसू रोता है फिर भी गणेश शंकर की जैसी शानदार मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने की जी

नहीं चाहता। यह निश्चय है कि आज न हो तो आगे किसी दिन उसका निष्पाप खून हिन्दू-मुस्लिम एक्य सुदृढ़ बनायेगा। इसीलिए उनका परिवार संवेदना का नहीं बल्कि बधाई का पात्र है। ईश्वर करे उनका यह दृष्टान्त संकामक साबित हो। गांधी और विद्यार्थी जी की यह समर्पण भावना का आदर आज के समाज में उपदेशात्मक उद्धरणात्मक रूप से भले ही हो रहा हो पर व्यवहार रूप में नहीं।



अमर शहीद गणेश शंकर

विद्यार्थी की स्मृति में

पत्रकार कहुँ, साहित्यकार कहुँ
या देश भक्त बलिदानी।
दुनिया भर में नहीं मिलेगा,
विद्यार्थी जी को सानी।।
गांधी जी की सेना का सेवक,
सुन्दर महावीर के पत्र का लेखक,
सौदाई प्रेम का अद्भुत प्रेरक,
अमर वीर बलिदानी।
दुनिया भर में नहीं मिलेगा,
विद्यार्थी जी का सानी।
मजदूरों की सखा मनोहर
किसानों को समझा था सहोदर
'प्रताप' पत्र की मशाल साथ ले,
मुक्ति की सी ठानी।
दुनिया भर में नहीं मिलेगा,
विद्यार्थी जी का सानी।
कलम को माना बन्दूक,
गोली लगी उसे अचूक,
राष्ट्रीय संस्कृति के गौरव में,
खो बैठा भरी जवानी।।
दुनिया भर में नहीं मिलेगा,
विद्यार्थी जी का जानी।

गाँधी रोये, दददा रोये
युवाओं ने पथ दर्शन खोये,
दिखा गया पथ सिखा गया
सत् भारत का सैलानी।
दुनिया भर में नहीं मिलेगा,
विद्यार्थी जी का सानी।

इस प्रकार विद्यार्थी जी एक असाधारण व्यक्तित्व सम्पन्न पत्रकार थे, जो आज की पत्रकारिता और पत्रकार के लिए एक आदर्श मानदण्ड है। वे पत्रकार के साथ-साथ एक स्नेह पात्र, कीर्ति प्राप्त, निडर, तपस्वी, अटल, अनल, ज्वलन्त, आदर्शवादी, जनप्रिय लोकनायक भी रहे। उन्होंने राजनीतिक जनसेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग अस्मिता कायम की थी। ऐसे पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, जनसेवकों और विद्वानों की आवश्यकता हमेशा समाज को रहती है पर आज के परिवेश एवं उपभोक्ता पदलोलुपता वादी समाज में ऐसे कर्मवीरों की कमी हो गयी है जिससे समाज दिग्भ्रमित हो गया है। ●

पता : एस-2/376, ए-12,
सिकरौल, भोजुवीर,
वाराणसी, उ0प्र0-221002



भारतवर्ष में उपभोक्ता आन्दोलन बहुत पुराना नहीं है, इसका प्रारम्भ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद हुआ है। इस एक दशक के मध्य में उपभोक्ता संरक्षण अभियान शहरों तक ही फैला है। इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही देखने को मिलता है। इस हेतु सर्वप्रथम कृषकों में जागरूकता लाकर ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण का प्रसार आसानी से सम्भव है।

जब कृषक और उपभोक्ता सामन्जस्य की बात की जाती है, तो बहुत से लोगों में यह शंका देखने को मिलती है कि कृषक और उपभोक्ता के मध्य सामन्जस्य क्या और कैसे हो सकता है? इस सन्दर्भ में मेरा स्पष्ट मत है कि इस कृषि प्रधान देश में यदि कृषक अपने उपभोक्तावादी स्वरूप से अनभिज्ञ है तो यह सम्भव नहीं है कि उसका विकास हो। आज के युग में जहाँ बड़े और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में व्यापारिक स्पर्धा का घमासान हो रहा है। जहाँ यह प्रतिष्ठान अपने-अपने को बाजार में सुदृढ़ करने के लिए उपभोक्ताओं की खोज में लगे हों तथा यह कहा जा रहा हो कि अब बाजार उपभोक्ताओं का है, तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे देश का 80 प्रतिशत कृषक रूपी ग्रामीण उपभोक्ता

कृषकों में उपभोक्ता जागरूकता : एक आवश्यकता



डा० जयन्त सिंह

डायरेक्टर

तालुकदार कृषक फारमर्स प्रोड्यूसर्स कम्पनी लि.

अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हो, उसको इसका ज्ञान भी न हो कि जो वस्तु वह अपने निजी या व्यवसाय के उपयोग हेतु खरीद रहा है, क्या उसका मूल्य और गुणवत्ता उसके अनुकूल है? तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।

भारत एक विकासशील देश है तो स्वाभाविक ही है कि हमारे देश की योजना का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित होगा। परन्तु इससे सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हमारे गाँवों तक पहुँच नहीं पा रहा है, यह सर्वविदित है। इसका बहुत बड़ा कारण हमारे ग्रामीण वासियों की अशिक्षा और अनभिज्ञता भी है। परन्तु यदि अशिक्षित में जागरूकता हो, अनभिज्ञता न हो तो उसकी बहुत सी समस्याएँ आसानी से दूर हो



सकती हैं तथा आसानी से लोग अशिक्षित का भी शोषण नहीं कर सकते।

इसी तरह ग्रामीणवासी कृषक अथवा मजदूर यदि जागरूक हैं, तो उसमें उपभोक्तावाद की चेतना आसानी से ग्रहण करने की क्षमता होगी। आज भी हमारे ग्रामीणवासी जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनमें उपभोक्ता आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनके विकास के लिए निभा सकता है। यदि हमारे ग्रामीण कृषक जागरूक हैं तो उसे अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान भी रहेगा, और वह इस बात की पूरी जानकारी रखने में भी सक्षम हो सकता है कि योजनाएँ चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर सरकारी, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, उनमें उसका कहाँ तक हित है और कहाँ तक पालन हो रहा है, इसका भी आभास रहेगा।


उपभोक्ता जागरूकता आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि यदि हमारा किसान जागरूक है तो उसे इसका भी ज्ञान रहेगा कि जो खाद या कृषि यन्त्र आदि वह खरीद रहा है, वह उसके मूल्य और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि इससे कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो देश की

आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्तावाद ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है, जहाँ हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हो सकती है।

प्रश्न उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन का प्रसार कैसे हो? इस हेतु उपभोक्ता हितवादी लोग और स्वयंसेवी संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि ऐसे संगठन समय-समय पर अलग-अलग गाँवों में उपभोक्ता आन्दोलन से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करें तो उसका प्रभाव बहुत से गाँवों तक आसानी से फैल सकता है; तभी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च) मनाना सफल होगा। वर्तमान समय में केन्द्र सरकार द्वारा देश में कृषक उत्पादक संगठन संचालित हो रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि सरकार किसान उत्पादक संगठनों को उपभोक्ता आन्दोलन से जोड़ती है तो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार को विद्यालयों एवं कालेजों के माध्यम से भी उपभोक्ता आन्दोलन को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। □

वो भोर नहीं आई

- राजेन्द्र तिवारी



लफजों पे नहीं जाओ.... महसूस करो भाई।
साहिल से न समझोगे मँझधार की गहराई।
इस शहर के मिलने के अंदाज़ निराले हैं,
हमदर्द की सूरत में मिलते हैं तमाशाई।
चिन्ता है दिमागों को हर वक़्त नफ़े की बस,
क्या सोच सकें दिल के नुकसान की भरपाई।
यूँ साथ मेरे..... कोई रहता है ख़यालों में,
महसूस नहीं होती तनहाई भी तनहाई।
हाँ! रात कटी, दिन की शुरुआत हुई, लेकिन
जिस भोर को आना था, वो भोर नहीं आई।



पता : 'तपोवन'
38-बी, गोविन्द नगर,
कानपुर-208006, उ०प्र०
मो. - 6386680768

ईमेल-rajendratiwari121@gmail.com

प्रकृति, भारतीयता एवं वैज्ञानिकता से जुड़ा है नवसंवत्सर

नवसंवत्सर का जुड़ाव हमारी प्रकृति से है, सृष्टि से है, ऋतुओं से है, जीवों से है, जीवमण्डल से है और धरती से है। ऋतु परिवर्तन प्रकृति का चक्र है। ऋतु का अर्थ है, जो सदा चलता रहे। यह लय और गति हमें संदेश देती है कि वर्षभर नए नूतन परिवर्तन की ओर सतत अग्रसर रहें। गति का जीवन से अटूट संबंध होता है। यह गति जहाँ ऋतु से जुड़ी है, वहीं ऋतु का अभिन्न जुड़ाव नवसंवत्सर से है।

पौराणिक है संवत्सर की अवधारणा

पौराणिक उल्लेखों के अनुसार -

सर्वर्तुपरितस्तु स्मृतः संवत्सरौ बुधै।

(किसी ऋतु से प्रारंभ करके ठीक उसी ऋतु के पुनः आने तक जितना समय लगता है, वह संवत्सर कहलाता है।)

यह संवत्सर एकप्रकार से पूरा वर्ष है और इसमें 'नव' शब्द जुड़ने से नवसंवत्सर हो जाता है। यह सृष्टि की वर्षगांठ का नववर्ष है, इसका वर्णन यजुर्वेद के 27 वें तथा 30 वें अध्याय के मंत्र क्रमांक 47 और 15 में अंकित है।



नमिता वैश्य (शिक्षिका)

भारतीय संस्कृति में हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चौत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना गया है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि-सर्जना आरंभ की थी। इसकी पुष्टि ब्रह्म पुराण के निम्नलिखित श्लोक से होती है-

चौत्र मासि जगद् ब्रह्मा ससर्ज प्रथमोहनि।

शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदये सति।।

अर्थात् चौत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि के सूर्योदय से ब्रह्माजी ने सृष्टि का निर्माण का कार्य आरंभ किया था। इसी दिन सूर्य देव का उदय हुआ था तथा इसी दिन भगवान राम ने बालि का वध किया था। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था।

धर्मग्रंथों में इसे 'नवसंवत्सरोत्सव' के रूप में मनाए जाने का विधान है। कालपुरुष के सभी अवयवों के साथ इस दिन मुख्य रूप से सृष्टा ब्रह्माजी के पूजन का विधान है। अथर्ववेद में उल्लेख के अनुसार वैदिककाल से इसे एक महापर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। इससे इसकी प्राचीनता एवं भव्यता का पता चलता है।

एक पौराणिक आख्यान के अनुसार सृष्टि निर्माण के समय सर्वप्रथम भगवान

विष्णु ने अवतार लिया था और वह उनका मत्स्यावतार था, जो जल में हुआ था। यह कथानक जल की महत्ता को दर्शाता है, इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा भी की गई है कि सृष्टि का पहले जीव का उद्भव जल में हुआ था।

नवसंवत्सर हिंदू-धर्म-दर्शन पर आधारित महोत्सव है। हमारे धर्म में ब्रह्माजी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं और शिव संहारक देव हैं। यह वर्गीकरण कितना वैज्ञानिक है। सृष्टि आवश्यक है, उसका पालन-पोषण भी आवश्यक है और नव-नूतन-सृजन के लिए प्राणी की आयुपूर्ति पर संहार भी आवश्यक है। यह परिवर्तन क्रम सृष्टि का नियम है, जो कि शाश्वत है। नवसंवत् इसी कालक्रम का सूचक है।

नवसंवत् का ऐतिहासिक महत्व

नवसंवत् से जुड़े एक प्राचीन अध्याय के अनुसार महाकाल (शिव) की नगरी अवंतिका (उज्जैन) के सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांता शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए, चौत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रमीय संवत् का प्रवर्तन किया था। उत्तर भारत में इसी दिन वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होता है तथा लोग माँ आदिशक्ति की घटस्थापना कर नौ दिन पूजा-अर्चना करते हैं और घर वालों की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसी दिवस स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दिवस होने के अतिरिक्त कलयुग के प्रथम सम्राट परीक्षित के सिंहासनारूढ़ होने का दिवस भी यही है।

इस दिवस का उल्लास महापर्व के रूप में देश के सभी भागों में देखने को मिलता है। भले ही पर्व के नाम अलग-अलग हों। इस दिवस को महाराष्ट्र में 'गुड़ी पड़वा', कर्नाटक में 'युगादि', आंध्र प्रदेश में 'उगादी', गोवा - केरल में संवत्सर, कश्मीर में 'नवरेह', मणिपुर में 'सजिबु नोंगमा पानबा' तथा सिंधु

प्रांत में भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के रूप में 'चेती चंद्र' (चौत्र का चंद्र) नाम से मनाया जाता है।

नवसंवत्सर का प्रकृति से है गहरा संबंध

चंद्र संवत्सर का शुभारंभ चौत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ऋग्वेद में ऋतुओं का निर्माता चंद्रमा को माना गया है। चौत्र का चंद्र संवत्सर अगले वर्ष के चौत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इसप्रकार यह कालचक्र अनवरत चलता रहता है, जो हमें प्रकृति से जोड़े रखता है और जीवन के तत्त्वों से परिचित करवाता है।

नवसंवत्सर का हमारी प्रकृति से गहरा संबंध है। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, जिसमें नवसंवत्सर का प्रारंभ होता है। यह समय शीतकाल की शीतलता और ग्रीष्मकाल की ऊष्णता का मध्य विंदु होता है। इसकारण जलवायु समशीतोष्ण होती है। यही समय है, जब फसलें पककर तैयार रहती हैं और कृषक को अपने परिश्रम का परिणाम प्रत्यक्ष देखकर अपार प्रसन्नता होती है। वातावरण उल्लास और उमंग से भर उठता है और जन-मन नववर्ष का पर्व मनाने को उत्सुक हो उठता है। नवसंवत् के आधार पर पंचांग तैयार किया जाता है। लोग इससे शुभ मूहूर्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं और नए शुभ कर्म पूर्ण करते हैं।

दो कैलेंडर के रूप में प्रचलित है भारतीय नववर्ष

हिंदी नववर्ष, जिसे प्रायः हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है, दो कैलेंडर के रूप में प्रचलित है। एक है शक संवत् और दूसरा विक्रम संवत्। दोनों में वर्ष का शुभारंभ एक ही दिन, एक ही महीने में होती है, चौत्र शुक्ल प्रतिपदा से। शक संवत् कैलेंडर, ग्रेगेरियन कैलेंडर से लगभग 78 वर्ष नया है और विक्रमी संवत् कैलेंडर, ग्रेगेरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पुराना है।

धूमधाम से मनाएँ भारतीय नववर्ष

अंग्रेजी नववर्ष 2024 को 31 दिसंबर 2023 की रात को या 1 जनवरी 2024 को हम मना चुके

हैं, किंतु हमें अपना हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, जो 9 अप्रैल 2024 अर्थात् चौत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। यह विक्रम संवत् 2081 होगा।

पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में फँसे हम आँग्ल नववर्ष तो अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं, यहाँ तक कि असंयम का अतिरेक कर देते हैं, टनों शराब गटागट पी जाते हैं, मित्रों के साथ झूमते, नाचते हैं, गाते हैं, हो-हल्ला मचाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, महंगे होटलों में या पर्यटन स्थलों पर पार्टियां करते हैं। इसमें भोंड़े प्रदर्शन के अतिरिक्त कहीं भी भारतीयता या शुभ संस्कारों की झलक नहीं मिलती। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं के साथ भारतीय नववर्ष को भी भूल गए हैं। यह नवसंवत्सर का पर्व हमें भारतीय संस्कृति को पुनः अपनाते के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। अपनी जड़ों की ओर लौटने का यह शुभ अवसर प्रदान करता है। आओ! भारतीय नववर्ष को हम सब मिलजुल कर सादगी और शालीनता से मनाएँ, इसके लिए कुछ इसप्रकार के आयोजन किए जा सकते हैं -

● घरों की छत पर भगवा ध्वज फहराएँ, घरों को कागज की झंडियों और गुब्बारों से सजाएँ, रंगोली बनाएँ तथा दरवाजे पर वंदनवार लगाएँ।

● प्रातःकाल स्नान कर घरों में देव-पूजन करें। मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना, संकीर्तन एवं धर्मग्रंथों का सामूहिक पाठ करें। सायंकाल घरों में एवं देवस्थलों में दीपक जलाएँ।

● भारतीय गणवेश धारण करें, मस्तक पर तिलक-चंदन लगाएँ तथा कलाई में मौली-कलाबा बाँधें।

● एक-दूसरे से मिलने पर हाथ जोड़कर नमस्ते करें तथा जयश्रीराम या वंदेमातरम बोलें।

● मोबाइल से वार्ता के पूर्व हैलो कहने के स्थान पर 'हरि ओम' बोलें। वृद्धजन के चरणस्पर्श करके आशीर्वाद लें तथा छोटों को स्नेह-दुलार

करें।

● वृद्धाश्रम जाकर वृद्धजन से मिलें, उनका हालचाल पूछें तथा मिठाई खिलाएँ। निर्धनों को भोजन कराएँ।

● गोशालाओं में गायों को चारादान करें तथा गुड़ खिलाएँ।

● घर और विद्यालयों में बच्चों को नवसंवत्सर से संबंधित कथाओं और महापुरुषों के चरित्रों से अवगत कराएँ।

● देवस्थलों, पार्कों, विद्यालयों और विशिष्ट स्थानों पर संगोष्ठी, वार्ता, कवि गोष्ठी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। बच्चों के द्वारा साजसज्जा एवं बालछवियाँ प्रस्तुत करने की प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं।

● अपने इष्ट-मित्रों को एक-दूसरे से मिलकर या मोबाइल से मंगलमय नववर्ष की शुभकामना एवं बधाई प्रेषित करें।

● हम दुर्गुणों को त्यागकर सद्गुणों तथा भारतीय संस्कृति को अपनाने का संकल्प लें।

भारतीय नववर्ष भारत के नव राष्ट्रवाद के उदय के आलोक में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। यह पर्व नई ऊर्जा, नई ज्योत्स्ना, नव आराधना, नवशक्ति और नई परिकल्पना का है। यह पावन हिंदू पर्व है, जिस पर हमें गौरव और गर्व करते हुए 'वसुधा ही कुटुंब है' अवधारणा के अनुसार जीवमण्डल के सभी जीवधारियों के लिए मंगलकामना करनी चाहिए।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था- "यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले परकीयों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला अपना आत्मगौरव खो बैठता है।" □

पता : मसकनवा, गोण्डा

उ.प्र.-271305

मो.-9997478210



सशक्त नारी वंदना शर्मा



— डाक्टर उषा अरोड़ा

आधुनिक नारी के बारे में कलम उठते ही एक ऐसी छवि सामने आ रही है जो आधुनिक भारतीय नारी की क्रांति की अग्रदूती हैं स्वतंत्रता की ध्वजवाहिका है राष्ट्र की निर्मात्री है जीवन के संघर्ष में वातावरण में न उलझ कर परिस्थितियों से जूझती वंदना शर्मा नारी शिक्षा चेतना तथा स्वतंत्रता का प्रकटीकरण है अतरौली नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी है आप मध्यम वर्गीय परिवार में अपने पांच भाई बहन के साथ पत्नी पिता के आदर्शों का पालन करती बड़ी हुई आपके पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे अपनी ईमानदारी के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले रेलवे में स्टेशन मास्टर होने के कारण तीन-चार दिन में लौट कर घर आते थे मां

बीमार रहती घर के काम के साथ-साथ पढ़ाई की लगन शुरू से थी कक्षा में बहुत अच्छे नंबर आते अपनी सहेली के साथ-साथ स्कूल पैदल ही जाते थे मेरी सहेली का भाई मुझसे दोस्ती करना चाहता था पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे तो सहेली के भाई ने ऐसिड मेरे मुंह और हाथ पर डाल दिया मैं एकदम दर्द से तड़प गई पर अभी बोर्ड के चार पेपर बाकी थे यह सोचकर हिम्मत से कम लिया लिखने के लिए एक सहायक मुझे मिला बोर्ड परीक्षा प्रथम नंबर से पास की परीक्षा के बाद पापा ने मेरा इलाज राजकीय अस्पताल में कराया यह समय मेरे लिए बहुत कष्ट दायी था शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक पीड़ा से बुरी तरह ग्रस्त थीं क्योंकि समाज इस घटना के लिए मुझे और मेरे पापा को दोषी ठहरा रहा था बेटी को बहुत छूट दे रखी है परिवार और समाज के व्यंग्य से मन द्रवित हो उठता यह दर्द पूर्ण घटना आज भी जीवन्त है वंदना जी जब अपनी इस घटना को सुना रही थी तो





भावुक मन नम आंखों के साथ उनकी वाणी में कंपन था इस समय कठोर फैसला मेरे पापा के सामने मैंने रखा मैंने कहा मैं अभी पढ़ाई आगे करूंगी बीएससी करी और 1994 में एमएससी की परीक्षा पास कर ली 1995 में पहली नौकरी प्रोजेक्ट अफसर अर्बन पुअर बेसिक सर्विस में लगी कदम यही नहीं रूके यूपीएससी क्लास 2 परीक्षा देकर अतरौली की नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई 25 साल से सेवारत है पिताजी से विशेष लगाव होने के कारण वह बार-बार मुझे समझाते तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे तो शादी में समस्या नहीं आएगी मेरा उनसे एक ही उत्तर होता कि मुझे जो इसी रूप में पसंद करेगा मैं उसी से शादी करूंगी विमल कुमार जी को कई सालों तक समझने के बाद 15 जुलाई 2005 को हमारी शादी हुई वह एक अच्छे इंसान है कुछ रूक कर एक लंबी सांस भरकर उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था अब मेरा संघर्ष अपने आप से था की शादी के 8 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए यह अपराध बोध धीरे-धीरे जकड़ रहा था अपनी समस्या हल करने के लिए मैं अक्सर मोबाइल पर डाक्टर ढूंढते एक दिन टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा और दिल्ली पहुंचकर अपने पति को बुलाया हम दोनों का सपना साकार हो गया बच्चे पाकर दोनों प्रसन्न हो

गए आपका मानना है कि ईमानदारी के साथ काम करने में बहुत मजा आता है और अच्छा लगता है नगर पालिका के झगड़ों को सुलझाने में कई बार कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं शुरू में लोगों की बातें भाषा अच्छी नहीं लगती थी लेकिन धीरे-धीरे समस्या सुलझाना आ गया अब केवल समस्या ही नहीं विकास की बात भी करती हूं पोखर और नहर पर विशेष ध्यान ताकि घरों का पानी पोखर में जा सके नाली बंद ना हो शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए समय-समय पर टंकी साफ हो इस पर विशेष जोर देती हूं सड़कों पर कुड़ा ना डालें प्रातः सीटी बजाते हुए सफाई कर्मचारी कूड़ा ले जाते हैं आप सवेरे स्वयं 6:00 बजे राउंड पर निकल जाती है आप हर नारी को ओजपूर्ण संदेश देते हुए एक ही बात कहती है कि नारी सब करने की सामर्थ रखती है बस ललकहोनी चाहिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नारी राष्ट्रीय उत्थान में पूर्ण सहयोग दे रही है हमें डर कर नहीं बैठता है चुनौती का सामना करते हुए आप स्वयं एक सशक्त महिला के रूप में उभरी है। □

पता : कन्हैया सदन, खत्री पड़ा,
अतरौली, अलीगढ़-202 280
मोबाइल-844 5 96 2671



● डॉ. भागचन्द्र जैन
प्राध्यापक एवं प्रचार अधिकारी
इंदिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय, कृषि
महाविद्यालय, रायपुर-492012
(छत्तीसगढ़)

परीक्षाफल

जिसका परीक्षाओं के बाद होता इंतजार ।
वह दिन एक पर्व है, एक बड़ा त्यौहार ।।
बड़ा त्यौहार! आ जाती है जब साल की याद ।
कैसा होगा? मेहनत के फल का स्वाद ।।

घोषित हुआ परीक्षाफल, मिला पुरस्कार ।
प्रगति अच्छी हुई, हृदय में खुशी अपार ।।
खुशी अपार! सफलता पर खूब बधाई ।
आशाओं को संतुष्टि दे रही है मिठाई ।



प्रमाण-पत्र-अंक सूची है, हमारी पहचान ।
पाया भी है, उत्तम अंकों से ऊंचा स्थान ।।
ऊंचा स्थान! सदैव प्रतिभाशाली रहें ।
भविष्य उज्ज्वल हो, सौभाग्यशाली रहें ।।



‘सहकारिता सर्वोदय’

संसार भर में सहकारिता का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब भारत में विदेशी शासन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेड़ियों से बांध रखा था। अकाल, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक प्रकोप और महामारी जैसी अनेक आपातकाल वर्षों तक गांवों को निरन्तर कमजोर करते गये। शासन ने राजस्व वसूली के अतिरिक्त गांवों को कुछ भी नहीं दिया। भारत के गांव विपन्नता की चादर में ढक दिये गये। शिक्षा, स्वास्थ्य, जन सुविधा, विकास आदि शब्द केवल बोले सुने जाते थे। इनका कोई धरातल नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज देश को लूटते रहे, और भारत गांवों में कराहता रहा। आर्थिक शोषण सदियों तक गांवों में नंगा नाच करता रहा। भारतीय ग्रामीण आर्थिक कैद में जीते रहे।

सहकारिता का झंडा विदेशों से होकर भारत



— सीएमए गोविन्द शुक्ल

यह भी एक असफल योजना है। निष्पक्ष होकर विचार करें, तो सहकारी कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये हैं। इसकी असफलता में राजनेताओं और नौकरशाहों का बराबर योगदान है।



में आया। लेकिन आज के दिन भी एक सामान्य नागरिक सहकारिता के ज्ञान से शून्य है। दूसरे शब्दों में, यहां सहकारिता साक्षरता हीनता व्याप्त है। सहकारिता के बारे में सामान्य जानकारी भी आम आदमी को नहीं है। तो, यह अनुमान सहज लगाये जा सकता है कि हम कहां खड़े हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी सहकारिता घुटनों के बल घिसट रही है। अन्य सरकारी कार्यक्रमों की तरह

जनता में सहकारिता के प्रति आशा को जागृत करना चाहिए। जागरूकता के अतिरिक्त प्रचार प्रसार भी अनिवार्य है। जिस तरह यह होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। अर्थात्, जिस तरह वह हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। प्रचार का तरीका बहुत पुराना और घिसापिटा है। आधुनिक विचारों के साथ नया दृष्टिकोण अति आवश्यक है। संसार में अपनाई जा

रही तकनीक का सही प्रयोग हो, यही उचित होगी। आज के संदर्भ में सहकारिता के लाभ व हानि पर आलोचनात्मक दृष्टि हो। पुरानी पड़ी पद्धति कारगर नहीं है। अन्य देशों से इसके प्रयोगों को समझना और बूझना उचित होगा। सहकारिता को पुरानी चाल से मुक्ति मिलनी चाहिए। नयी गति और नयी ऊर्जा के साथ सहकारिता को पुनः अपना उद्धार करना होगा। अब प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिए।

सहकारिता का सर्वोदय कब आयेगा? आज ही निर्णय लेना होगा कि सहकारिता का सर्वोदय इस देश के विकास का कायाकल्प करने के लिए अवतरित हो। अपने मूल उद्देश्य के साथ सहकारिता लक्ष्य का पीछा करने में समर्थ है। विकास के आयामों में यह नया अवतार ही है। आर्थिक युग का यह प्रयोग सदैव शक्तिशाली रहेगा। लेकिन, ईमानदारी और मेहनत का सूत्र जरूर ही इसके पंख लगा सकता है। भारत के लिए अवसर है, एक बार आर्थिक युद्ध जीतने का। जिन देशों ने सहकारिता से विजय यात्रा की गाथा लिखी है, उनसे सीखने का समय है। हर सहकार से सीखना चाहिए। बिना सहकार के सहकारिता का कोई अर्थ नहीं। सहकार ही सहकारिता की आत्मा है। सहभागिता को ईमानदार श्रम के सापेक्ष तौलना चाहिए। कर्म हो या धर्म, पारदर्शी व्यवस्था और अनुशासन का आधार उत्तम है। इसके बिना समुचित प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए, सहकारिता को व्यवहारिक बनाने के लिए भावना प्रधान बनाना पड़ेगा। इसलिए सहकारिता सर्वोदय को नये विचार से युक्त युवा वर्ग को परिचित कराया जाना उच्चारण होगा। युवा वर्ग को भटकने से बचाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। भारत में बेरोजगारी ही नहीं, अर्ध बेरोजगारी का भारी संकट खड़ा है। बड़ी संख्या में लोग अर्ध बेरोजगार हैं। लेकिन अभी तो बेरोजगारी का ही तोड़ नहीं निकाला गया, फिर अर्धबेरोजगारी की बात कौन सुनेगा। विशेषरूप से गांवों में अर्ध बेरोजगारी व्यापक रूप से कायम है। कुछ माह छोड़ कर छः माह अधिकांश ग्रामीण अर्धबेरोजगार रहते देखे जा

सकते हैं। कमोबेश यही दशा शहरों की भी है। कोरोना काल में तो अर्धबेरोजगारी ने सम्पूर्ण देश को झकझोर डाला। किसी भी तरह लोग पेट के लिये जीते देखे जा सकते थे। कोरोना की छाया में रोजगार का पलायन तीव्रता से हुआ, उसे फिर से पकड़ने का अवसर डूबता गया।

‘सहकारिता सर्वोदय’ के नाम से सहकारिता आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा सकता? उत्तर प्रदेश से श्रीगणेश करना ठीक रहेगा। आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां अपनी कार्ययोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को नयी सहकारी नीति के लिए अवसर दे सकते हैं। केंद्र सरकार अवश्य इससे नया रास्ता निकालेगी। अन्य प्रदेश भी सर्वोदय सहकारिता के पीछे चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह प्रयोग किया जाना चाहिए। सहकारिता में सर्वोदय का आदर्श खोजने का प्रयास अनुचित नहीं है। फिलहाल, सरकारी तंत्र से ही इसके बारे में आग्रह हो सकता है। जनता तो दूर दूर तक अनभिज्ञ है। मेरा सीधा कहना है कि सहकारिता में सर्वोदय माडल को स्वीकार किया जाय। इसे आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है।

सर्वोदय एक विचार है, सबका उदय। सबका हित, सबका भला, सबका लाभ, सबका कल्याण और सबका मार्ग। सहकारिता भी यही करना चाहती है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। सहकारिता को स्वायत्तता दी जाय, हाथ पैर फैलाने का स्थान दिया जाय। सहकारिता को नया कलेवर प्रदान करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके तो आधुनिक परिवर्तन से भी परहेज न किया जाय। यदि वांछित फल प्राप्त होता है, तो सहकारिता को नया रूप दे देना चाहिए, यह समय की मांग है। यदि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन या परिशोधन नहीं करेंगे, तो हम पीछे छूटते जायेंगे। एक दिन सहकारिता पुराने विचारों का पुलिंदा भर बन कर रह जायेगी, कोई इसको हाथ भी नहीं लगायेगा। इसलिए शीघ्र ही

सहकारिता को नये परिवेश में सजाया जाय, जीर्ण-शीर्ण आवरण से छुटकारा मिले। जनता की अपनी कहानी है, सहकारिता को जनता की कहानी से जुड़ना होगा। जनता का मन क्या है, इस पर काम करना समझदारी होगी। यह आवश्यक नहीं है कि जनता किसी सही योजना को स्वीकार ही कर ले। ठीक वैसे ही, जैसे कि पिछले वर्षों में केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को आम किसान द्वारा नकार दिया गया था। किसानों ने सही किया या गलत किया, यह अलग विषय है। किसानों की सोच के बारे में कुछ कहना अप्रसांगिक होगा। निष्कर्ष यह है कि सहकारिता की सफलता के लिए किसानों और आम जनता को विश्वास में लेना ही होगा। ऐसी स्थिति में, सहकारिता सर्वोदय एक नये स्वरूप में जन जन पर प्रकट होगा।

सहकारिता का सर्वोदय भारत में होगा। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है। प्रदेशों में सहकारिता को लेकर गंभीरता न होने से बड़ी रूकावट हो सकती है। प्रांत इस पर एकजुट नहीं हैं। राजनेताओं को सहकारिता एक थोपी गयी मशीन लगती है, जिसे अपने आप चलना है-कुछ विशेष नहीं करना है। यह मानसिकता अत्यंत घातक है। सरकार सहकारिता को इससे ऊपर उठा सकती है। वह सर्वोदय का नया प्रयोग करके सहकारिता को आगे बढ़ाने में सफल हो सकती है। वैसे लगभग दो वर्ष बीत रहे हैं, फिर भी सहकारिता मंत्रालय का दृष्टिकोण अभी जनता के बीच स्पष्ट नहीं हो सका। गुपचुप वाली परम्परा से सहकारिता का भला नहीं होने वाला। इन दो सालों में अबतक आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता था, जो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। नौकरशाही की भूमिका को देखना चाहिए, सरकार आंख बंद करके इस पर विश्वास न करे। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात सहकारिता के साथ केवल विश्वासघात हुआ है। सहकारिता के ढांचे को जर्जर किसने किया?

आर्थिक विकास का माडल केवल निजी व

सरकारी उपक्रम तय नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र की प्रतियोगिता नहीं चल रही है, न चलनी चाहिए। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक बनें। गैर सरकारी क्षेत्र तो दिशा ही नहीं तय कर पाया, अभी तक। तो फिर सहकारिता क्षेत्र पर इतना संदेह क्यों है? सहकारिता में व्याप्त शिथिलता और रोग को हटाना चाहिए। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर एक बनाना हो, तो सहकारिता इसे संभव बना सकती है। केवल सहकारिता क्षेत्र से नहीं, परन्तु सहकारिता के सहयोग से लक्ष्य पाया जा सकता है, यह आशय है। स्पष्टतः, सहकारिता के बिना देश उतनी प्रगति नहीं कर सकता, जितनी उसे करनी चाहिए। बस, एक ही शर्त है कि इसे जनता स्वीकार कर ले। जनता के नकारने से सहकारिता सर्वोदय बेमानी है, और भारत को अपनी सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करना कठिन होगा। इसे जनता के समीप जाना ही होगा। सरकार चाहे आज समझे, या कल समझे। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हो, कभी न कभी तो पहल करनी होगी।

सहकारिता सर्वोदय को नये कार्यक्रम के रूप में केन्द्र सरकार प्रारम्भ कर सकती है, जिसका प्रतिपादन सभी राज्य करेंगे। लेकिन इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाय, जिससे जनता को सहकारिता के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इसे अभियान के रूप में गांव गांव तथा मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाया जाय। इसमें स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, केवल सरकारी तंत्र का भरोसा पर्याप्त न होगा। सहकारिता शिक्षा व प्रशिक्षण को लागू करना होगा। सहकारिता में शोध कार्य को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार सहकारिता सर्वोदय का आकार तैयार करना अनिवार्य हो। □

(लेखक कास्ट एकाउंटेंट और वीएसएसडी कालेज, कानपुर के शोधछात्र हैं।)

पता : 1/53, विनयखण्ड गोमतीनगर,

लखनऊ-226010

सहकारिता के सिद्धान्त



स्वैच्छिक और
खुली सदस्यता

प्रजातांत्रिक
सदस्य-नियंत्रण

सदस्य की आर्थिक
भागीदारी

शिक्षा प्रशिक्षण
और सूचना

स्वायत्तता और
स्वतंत्रता

सहकारी समितियों
में परस्पर सहयोग

सामाजिक
कर्तव्य बोध